अक्टूबर /October, 2024 अंक / Issue No. 26

# सतर्कता संदेश

# Satarkta Sandesh

'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि'

Saluting the

Iron Man and the

Pioneer of National Integration

# SARDAR VALLABHBHAI PATEL

on his birth anniversary.

31st Oct, 1875 - 15th Dec, 1950

## "सतर्कता जागरूकता सप्ताह"

# सरदार वल्लभभाई पटेल

के जन्मदिवस के अवसर पर

मनाया जाता है।

# पूर्व मध्य रेल

## East Central Railway

सत्यमेव जयते

# सतर्कता संदेश

## Satarkta Sandesh

छत्रसाल सिंह
महाप्रबंधक
Chhatrasal Singh
General Manager

सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway
Hajipur, Vaishali (Bihar), Pin-844101
Phone : +91-06224-274728
Fax : 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in

# संदेश

मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि पूर्व मध्य रेल का सतर्कता संगठन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर **''सतर्कता संदेश''** का 26वां अंक प्रकाशित कर रहा है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम **''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि''** सही मायने में राष्ट्र की आवश्यकता को दर्शाता है। भारतीय रेलकर्मियों की चारित्रिक ईमानदारी भारत को तीव्र गति से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में मददगार होगा। सतर्कता जागरूकता अभियान के माध्यम से सत्यनिष्ठा विषय पर जागरूकता फैलाने से हमें कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उच्च नैतिक मानकों पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलेगी।

ईमानदारी एक ऐसा आवश्यक गुण है जिसे नियोक्ता कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों में देखना चाहते हैं। ईमानदारी से काम करनेवाले कर्मचारी अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों और अन्य भागीदारों के साथ नैतिकतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हम सब अपने आप में एक सतर्कता कर्मी हैं। हमें सभी कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से सुनिश्चित करना है। इससे भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा।

मुझे खुशी है कि इस **''सतर्कता संदेश''** का ई–बुलेटिन पूर्व मध्य रेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि केस अध्ययन, लेख, क्या करें और क्या न करें के माध्यम से कर्मचारीगण काम करने के सही तरीकों के प्रति जागरूक होंगे। इससे उनमें ईमानदारी से कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

(छत्रसाल सिंह)

छत्रसाल सिंह
महाप्रबंधक
Chhatrasal Singh
General Manager

सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway
Hajipur, Vaishali (Bihar), Pin-844101
Phone : +91-06224-274728
Fax : 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in

## MESSAGE

It gives me great pleasure to know that Vigilance Organization of East Central Railway is bringing out 26th issue of **"Satarkta Sandesh"** on the occasion of Vigilance Awareness Week starting from 28th October to 3rd November, 2024. The theme for the Vigilance awareness week as envisioned by CVC, **"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"** is the need for the day. This rightly reflects the need of the nation. Having Integrity of character in officials of Railway will help India in fast achieving the goals set for Indian Railways. Spreading awareness about Integrity through Vigilance Awareness campaign will help us to practice higher ethical standards while discharging duties.

In the workplace, integrity is an essential value that employers look for in their employees. Employees with integrity behave morally with their co-workers, superiors, and other stakeholders. We all are vigilance officials in ourselves. We have to ensure that all works are executed with complete integrity, objectivity and transparency. This will help catapulting India in the league of self-reliant nations.

I am happy that e-bulletin of this **"Satarkta Sandesh"** is also being made available on the website of East Central Railway. I anticipate employees will become aware about what is correct way of working through case studies, articles, Do's & Don'ts. This is likely to raise their confidence to work with integrity.

**(Chhatrasal Singh)**

**Dilip Kumar Singh**
**Principal Exe. Director (Vigilance) &**
**Chief Vigilance Officer**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय,
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN
NEW DELHI-110001

# संदेश

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा के महत्व पर बल देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष यह 28 अक्टूबर, 2024 से 03 नवंबर, 2024 तक मनाया जाएगा जिसका थीम केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के द्वारा **''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि''** अथवा **"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"** रखा गया है। यह थीम इस विचार को रेखांकित करता है कि किसी राष्ट्र की दीर्घकालिक सफलता और विकास समाज के सभी स्तरों पर ईमानदारी, नैतिकता व जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने पर निर्भर करता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सभी संगठनों को सतर्कता संबंधी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रेल का सतर्कता विभाग कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा प्रणालीगत सुधारों को बढ़ावा देने की दिशा में नियमित रूप से कई कदम उठा रहा है। इस दिशा में 16 अगस्त से 15 नवंबर 2024 तक चलने वाला तिमाही अभियान शुरू किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सभी इकाइयां इस अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जो भी आवश्यक कदम हो, उठा रही है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम निवारक उपायों को लागू कर तथा रेल कर्मचारियों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाकर संगठन के भीतर भ्रष्टाचार को दूर नहीं तो कम से कम काफी हद तक कम अवश्य कर सकते हैं। भारतीय रेल भ्रटाचार के उन्मूलन की प्रबल क्षमता रखता है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा, रिश्वत न लेने व न देने की शपथ लेनी होगी तथा इस बुराई से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

मैं इस अभियान में योगदान देने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सभी को सतर्कता जागरूकता सप्ताह की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ।

**(दिलीप कुमार सिंह)**

**Dilip Kumar Singh**
**Principal Exe. Director (Vigilance) &**
**Chief Vigilance Officer**

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रेल मंत्रालय,
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN
NEW DELHI-110001

# MESSAGE

Vigilance Awareness week is observed annually to emphasize the significance of morality and integrity in public life. This year, it will be celebrated from 28th October to 3rd November, 2024, with the theme chosen by the Central Vigilance Commission (CVC) being **'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि'** or **"Culture of integrity for Nation's Prosperity."** The theme underscores the idea that a nation's long-term success and development depend on fostering a culture of honesty, ethics and accountability across all levels of society.

The CVC has directed all organizations to undertake certain preventive vigilance activities, highlighting these as key focus areas. The Vigilance Department of Indian Railways is regularly taking various measures to enhance transparency in the system and promote systemic improvements. A three month campaign in this direction has been initiated, running from 16th August to 15th November, 2024. I trust that all units are doing what is necessary to achieve the objectives of the campaign.

I firmly believe that by implementing preventive measures and raising awareness among Railway employees and the public, we can significantly reduce, if not eliminate, corruption within the organization. Indian Railways holds a strong potential to eradicate corruption if we all work in unison, pledge not to take or give bribes and adopt stringent measures to tackle this menace head-on.

I extend my sincere greetings to everyone contributing to this movement and wish you all a successful Vigilance Awareness Week.

**(Dilip Kumar Singh)**

शैलेश वर्मा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
**Shailesh Verma**
Sr. Dy. General Manager

सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
**East Central Railway**
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in

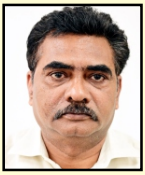

## प्राक्कथन

ईमानदारी और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता जागरूकता 2024 का थीम **''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि''** निर्धारित किया है।

इस गौरवशाली अवसर पर पाठकों को सतर्कता मामलों में 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से **''सतर्कता संदेश''** का यह 26वां अंक प्रकाशित किया जा रहा है। **''सतर्कता संदेश''** में प्रकाशित लेख, केस अध्ययन और प्रणाली सुधार पत्र पूर्व मध्य रेल में विभिन्न विभागों की मौजूदा कार्य प्रणाली के अध्ययन पर आधारित हैं। हमें उम्मीद है कि यह रेलकर्मियों के लिए उनके दैनिक कार्य में उनके उचित कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा।

हमारा उद्देश्य उपयोगी सिद्ध होगा यदि **''सतर्कता संदेश''** की विषय–वस्तु को पढ़ा जाता है, उसका प्रसार किया जाता है तथा 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। हम पाठकों के रचनात्मक सुझावों का स्वागत करते हैं।

**(शैलेश वर्मा)**

शैलेश वर्मा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
**Shailesh Verma**
Sr. Dy. General Manager

सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
**East Central Railway**
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in

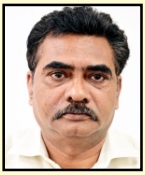

# FOREWORD

In pursuit of promoting integrity & ethical behavior, CVC has decided that the theme of Vigilance Awareness 2024 as **"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"**

The 26th issue of **"Satarkta Sandesh"** is being brought out on this august occasion with an objective to help reader in becoming aware about vigilance cases and do's & don'ts. The articles, case studies and system improvements letters in the **"Satarkta Sandesh"** are based on study of existing practices of various departments in ECR. We hope it will be useful and handy for Railway Official in their day to day working in properly discharging their due duties.

Our objective would be achieved if the contents of the **"Satarkta Sandesh"** are read, spread and awareness is increased about do's and don'ts. We welcome constructive suggestion from the readers.

**(Shailesh Verma)**

# सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :–

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा।

## विषय सूची / INDEX


| क्र.सं. | | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | **सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि**<br>✍ **सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष** रेलवे भर्ती बोर्ड, मुज. एवं पटना | 02 |
| 2. | **सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि**<br>✍ **शील आशीष,** उप मुख्य सांख्यिकी एवं विश्लेषण अधिकारी / पूमरे | 05 |
| 3. | **साइबर क्राइम से कैसे बचें**<br>✍ **अंतरा झा,** वरिष्ठ कार्यकारी / इले. और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 09 |
| 4. | **ईमानदार समर्पण की ताकत**<br>✍ **रमन तिवारी,** मुख्य सतर्कता निरीक्षक / चिकित्सा / पूमरे | 18 |
| 5. | **सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि**<br>✍ **शम्भू कुमार,** पी0एस0–II, भंडार / पूमरे / हाजीपुर | 22 |
| 6. | **भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग**<br>✍ **शैलेश कुमार,** गोपनीय सहायक / सतर्कता / हाजीपुर | 25 |
| 7. | **क्या करें और क्या न करें (Do's & Don'ts)** | |
| | **कार्य अनुबंध** – ✍ **आशुतोष झा,** उपमुसताधि (विद्युत) | 26 |
| | **चयन** – ✍ **कामेश्वर पाण्डेय,** मुसतानि (कार्मिक) | 40 |
| | **आईएमएमएस / यूडीएम** – ✍ **संजय कुमार,** मुसतानि (भंडारे) | 46 |
| 8. | **केस अध्ययन (Case Study)** | |
| | **यातायात (Traffic)** | 52 |
| | **लेखा एवं कार्मिक (Accounts & Personnel)** | 64 |
| | **अभियंत्रण (Engineering)** | 68 |
| | **भंडार एवं चिकित्सा (Stores & Medical)** | 80 |
| 9. | **प्रणाली सुधार पत्र (System Improvement Letters)** | 86 |
| 10. | **कविता** (सतर्कता का पर्व मनाएं)<br>✍ **महादेव कुमार मंडल,** पूर्व मुसतानि / भंडार / पूमरे | 110 |


*

लेख

# 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि'

✍ **सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव,** अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड, मुजफ्फरपुर एवं पटना

**"जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना"**

सत्यनिष्ठा, जिसे हम सच्चाई और ईमानदारी के रूप में समझ सकते हैं, किसी भी समाज या राष्ट्र की मूलभूत नींव है। यह न केवल व्यक्तिगत व्यवहार का एक पहलू है, बल्कि एक सम्पूर्ण संस्कृति की पहचान भी है। सत्यनिष्ठा की संस्कृति को अपनाने से न केवल व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है, बल्कि यह राष्ट्र की समृद्धि का आधार भी बनती है। सत्यनिष्ठा की संस्कृति और इसके माध्यम से राष्ट्र की समृद्धि के विभिन्न पहलुओ को निम्नवत बिन्दुओं के तहत दर्शाया जा सकता है।

"सत्यनिष्ठा अथवा 'सत्य के प्रति प्रतिबद्धता"–यह केवल बाहरी आचार–व्यवहार तक सीमित नही है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर की गहरी सोच और मानसिकता का भी प्रतिनिधित्व करती है। जब व्यक्ति सत्य के प्रति निष्ठावान होता है, तो वह अपने कार्यों में पारदर्शिता, समदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखता है। यह गुण न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सत्यनिष्ठा का एक महत्वपूर्ण पहलू नैतिक मूल्यों का पालन करना है। जब लोग सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं, तो वे नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाते हैं। यह समाज में विश्वास, सहयोग और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देता है। जब समाज में नैतिक मूल्यों की स्थिरता होती है, तो यह विकास की दिशा में एक मजबूत कदम होता है।

सत्यनिष्ठा का प्रभाव आर्थिक विकास पर भी गहरा होता है। जब व्यवसाय और उद्योग ईमानदारी से संचालित होते हैं, तो निवेशकों और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है। यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, जिससे नवाचार और विकास के नए अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे देशों में जहाँ

कर प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष होती है, वहाँ आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण की दिशा में भी प्रगति होती है।

सत्यनिष्ठा की संस्कृति राजनीतिक क्षेत्र में भी आवश्यक है। जब नेता और राजनीतिक दल ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं, तो जनमानस का विश्वास बढ़ता है। इससे राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सुधार होता है। जब लोग अपने देश के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, तो वे अपनी सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, जो राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक है।

सत्यनिष्ठा की संस्कृति सामाजिक सामंजस्य को भी बढ़ावा देती है। जब लोग सच्चाई को अपनाते हैं, तो वे आपस में अधिक ईमानदारी और पारस्परिक सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। यह जाति, धर्म और अन्य विभाजनकारी रेखाओं को मिटाने में मदद करता है। एक ऐसा समाज जहाँ लोग सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वहाँ सामाजिक कलह और संघर्ष कम होते हैं, जिससे एक सामंजस्य पूर्ण और सहिष्णु वातावरण का निर्माण होता है।

आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रभाव बहुत अधिक है। सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक और प्रेरणादायक सामग्री के प्रचार में किया जा सकता है। जब लोग सच्चाई और ईमानदारी के बारे में जानेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, तो यह समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है।

सत्यनिष्ठा केवल समाज या राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करे। जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा का पालन करता है, तो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। यह उदाहरण अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है और धीरे–धीरे एक व्यापक परिवर्तन लाता है।

हालाँकि सत्यनिष्ठा की संस्कृति को अपनाना आवश्यक है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और सामाजिक असमानता जैसी

समस्याएँ सत्यनिष्ठा के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक संगठित प्रयास की आवश्यकता है। यह प्रयास व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। जन जागरूकता, सख्त कानून और नैतिक शिक्षा का प्रभावीढंग से कार्यान्वयन इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक हैं। *

सत्यनिष्ठा की संस्कृति न केवल व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि यह राष्ट्र की समृद्धि का आधार भी है। जब समाज में सत्य और ईमानदारी को अपनाया जाता है, तो यह विश्वास, सहयोग और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है।

अतः हमें सत्यनिष्ठा की संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने और इसे समाज में फैलाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। यह हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए आवश्यक है और हमारे राष्ट्र की उज्ज्वल भविष्य का आधार स्तम्भ है। जब हम सत्यनिष्ठा को अपने जीवन का अंग बनाएंगे, तभी हम एक समृद्ध और सफल राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे।

*

**''भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत कठिन काम है,**
**लेकिन मैं पूरे जोर के साथ कहता हूँ कि**
**यदि हम इस समस्या से गंभीरता और दृढ़ संकल्प के साथ**
**नहीं निकलते तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह**
**करने में असफल होंगे।''**

– लाल बहादुर शास्त्री

*

लेख

# सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि'

✍ **शीलआशीष**, उप मुख्य सांख्यिकी एवं
विश्लेषण अधिकारी / पूमरे / हाजीपुर

भ्रष्टाचार हलांकि एक अपराध है पर हमारे समाज में इसकी स्वीकृत्ति कुछ हद तक है। प्रेमचन्द ने **'नमक का दरोगा'** कहानी में इस भावना को बखुबी वर्णन किया है जब कहानी के नायक वंशीधर को उसके पिता समझाते हैं कि "नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूँढ़ना जहॉ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चॉद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते–घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है। इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ।"

इसे मानवीय स्वभाव की नैसर्गिक अभिव्यक्ति भी माना जाता रहा है। घूस न लेना घर आयी लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। आचार्य चाणक्य ने भ्रष्टाचार से धन व पद प्राप्ति की इस ललचाती भावना को पहचाना और कहा था" जीभ हमेशा पास रखे मधु को चखना चाहता है।"

इतनी स्वीकार्यता के बावजूद क्यों भ्रष्टाचार एक अपराध माना जाता है। इसे समझने के लिए हमें राष्ट्र को शासन द्वारा संचालित करनेवाले राज्य की संरचना व कार्यतंत्र को समझना होगा। हमें राष्ट्र व राज्य का एक नागरिक के साथ संबंध को समझना होगा। यदि भ्रष्टाचार जैसी व्याधि को हमें समझना है और इस पर अंकुश लगाना है तो हमें राष्ट्र / समाज की मूल इकाई मानव को भी समझना होगा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह एक परिवार में रहता है। परिवार एक समाज में और समाज एक राष्ट्र में और विभिन्न राष्ट्र एक विश्व में रहते हैं। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। व्यक्ति अपने व अपने परिवार के लिए सभी सुविधा सम्पन्न आरामदायक जीवन चाहता है। वह समाज में एक मुकाम व प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता है। समाज व राष्ट्र भी आगे बढ़ना चाहते हैं और सभी के लिए सुविधा सम्पन्न आरामदायक व सुरक्षित जीवन चाहते हैं। वे भी विश्व में राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं। दोनों अभिलाषा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं पर जब कोई व्यक्ति अपनी

अभिलाषा को समाज की अभिलाषा से ऊपर तबज्जो देता है तो भ्रष्टाचार घटित होता है। राष्ट्र की कार्य संस्कृति दूषित होती है।

यदि कोई इंजीनियर खराब स्तर के सामान का किसी भवन, रोड या पुल बनाने में उपयोग करता है तो निश्चय ही वो पुल या रोड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उस इंजीनियर ने अपने और अपने परिवार के हित को सामाजिक हितों के ऊपर तबज्जो दी। यह एक निर्णय है जो हर कोई लेता या ले सकता है। व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन एक अहसास है जो कोई काफी निजी स्तर (Personal level) पर महसूस होता है।

व्यक्ति का सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन भी होता है पर वो अवैयक्तिक (Impersonal) होता है। कोई पिता या पुत्र का प्रेम महसूस तो करता है पर अपने समाज या राष्ट्र का प्रेम जल्द महसूस नहीं कर पाते हैं।

एक भारतीय होने का अहसास हमें कब होता है–15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर। बाकि दिन हम जिन्दगी की दौड़ में भागते रहते हैं। उसमें कुछ पैसे मिल जाए तो क्या गलत है? अतः हमें भारतीय राष्ट्र व समाज के महत्व को समझेंगे तब ही भ्रष्टाचार से हो रहे क्षति का अहसास हमें हो पायेगा। क्यों राष्ट्र की प्रतिष्ठा से हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है? आप भले बहुत अमीर हो जाए पर यदि आपका राष्ट्र मुख्यतः निर्धन है तो आपको भी यह गरीबी लज्जित करेगी। कुछ लोग राष्ट्रीयता बदल कर अमेरिकी या ब्रितानी राष्ट्रीयता ले लेते हैं। तब भी उनकी भारतीय पहचान नहीं जाती है। विद्यालयों या कॉलेजों में भ्रष्ट विद्यार्थी किसी छोटी–सी बात पर सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान व तोड़–फोड़ इत्यादि करते हैं। उनको भी राष्ट्र द्वारा प्रदत्त रियायती शिक्षा के महत्व का अहसास दिलाना होगा। **भ्रष्टाचार से राष्ट्र कमजोर होता है। उसकी आमदनी कम होती है या खर्च बढ़ जाते हैं। इससे व्यक्ति या परिवार पर प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष अवश्य प्रभाव पड़ता है।**

भ्रष्टाचार का कारण लोभ व लालच के अलावा, कुछ हद तक व्यक्ति का अपने व अपने परिवार के लिए सुरक्षा की चिंता भी है। हर किसी में एक असुरक्षा की भावना भी होती है वो अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा की भावना से चिंतित रहता है, वह आशा करता है कि उसके बेटा व बेटियॉ अच्छी शिक्षा प्राप्त करें तथा उनकी अच्छे परिवार में शादी हो। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है जो भ्रष्टाचार से संभव है। यहॉ पर राज्य की भूमिका महत्वपर्ण हो जाती है। अगर राज्य अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध कराता है तो किसी को भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करने की आवश्यकता कम हो जाती है राज्य की अकर्मण्यता से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। एक तरह से

भ्रष्टाचार एक बड़ी बीमारी का लक्षण है। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी, राज्य द्वारा राजस्व और संसाधनों के खराब प्रबंधन एवं संस्थाओं और शासन की विफलता के परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार से सार्वजनिक संसाधनों व राजस्व का कुप्रबंधन होता है जिससे सार्वजनिक सेवाएँ और वस्तुओं आदि का स्तर और खराब हो जाता है। इससे जनमानस में असुरक्षा की भावना बढ़ती है और साधारणजन भ्रष्ट आचरण के लिए प्रेरित होता है। यह एक प्रकार दुष्चक्र है जिसे तोड़ना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। निगरानी विभाग को इसका निर्वहन करना है।

राष्ट्र को संचालित कर रहे राज्य का महत्पूर्ण कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। परिवार में रहने वाला व्यक्ति को सुरक्षा की दरकार है, आंतरिक व बाह्य खतरों से सुरक्षा। यह राष्ट्र अपने संसासधनों से मुहैया करवाता है। यदि भ्रष्टाचार से राष्ट्र के खर्चों में बढ़ोत्तरी होती तो वह राष्ट्र की सुरक्षा व सेना के लिए अधिक धन नहीं जुटा पायेगा। व्यक्ति व परिवार को एक अच्छा जीवन जीने के लिए आन्तरिक खतरों से भी सुरक्षा चाहिए। आज भारत में प्रति लाख व्यक्तियों पर 152–153 पुलिसकर्मी है, यह संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा निर्धारित 300 से काफी कम है असुरक्षा से व्यक्ति और परिवार का जीवन प्रभावित होता है। इसी तरह और भी पहलू हैं जैसे– गुणवत्तावाले स्कूल, कालेज, अस्पताल। हर व्यक्ति का उसके समाज के साथ अनुबंध होता है कि वे अपने हितों की पूर्ति के लिए सामाजिक हितों को क्षति नहीं पहुचायेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार को जिस भी तरह पेश किया जाए, पर यह एक असामाजिक कृत्य है और करनेवाले को दण्ड मिलना चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने निजी हितों के लिए उस समाज व राष्ट्र को क्षति पहुँचाई जिस समाज व राष्ट्र ने उसे एक पहचान (भारतीय) दी व अपने परिवार के साथ सुरक्षा व नौकरी/व्यवसाय करने का अवसर दिया। भ्रष्टाचार से लागों का सरकार पर विश्वास कम होता है। इस तरह भ्रष्टाचार मानसिक रूप से भी राज्य के प्रभुत्व व वैधता को प्रभावित करती है। यदि कोई धनी व्यक्ति किसी निर्धन की हत्या कर देता है और पुलिस एवं कोर्ट उसका कुछ नहीं करती है तो लोगों का इस भ्रष्टतंत्र पर से भरोसा उठता है। यदि किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार की शिकायत पर कोई कार्यवाई नहीं होती तो फिर लोंगों का निगरानी विभाग पर से विश्वास उठ जाता है। भ्रष्टाचार राज्य व्यवस्था को ना केवल धन–बल से कमजोर करता है बल्कि वह राज्य की वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य एक असफल राज्य या मध्य अमेरिका के राज्यों की तरह एक केला गणतंत्र (BANANA REPUBLIC) बन जाता है, जहॉ राज्य के अलावा और भी सत्ता केन्द्र होते

हैं। माफिया गुट या बाहुबली अपने जिले व इलाके पर पुलिस से ज्यादा साख रखते हैं। गली और मुहल्ले पर विभिन्न गुटों का कब्जा रहता है।

सौभाग्य से भारत में राज्य का प्रभुत्व व लोगों के मन में इसकी साख बढ़ी है। अब भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री, मंत्री व ऊँचे अधिकारियों का जेल जाना बहुत सामान्य सी बात हो गई है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्राप्त हो रही शिकायतों में घातीय वृद्धि हो रही है यह जनता में राज्य/सरकार पर विश्वास का द्योतक है।

**सत्यनिष्ठा की संस्कृति से ही राष्ट्र की समृद्धि संभव है और भ्रष्टाचार राज्य व सरकार को कैंसर की तरह कमजोर करता है। पर सत्यनिष्ठा के प्रहरी अपनी सजग निगरानी द्वारा ऐसा होने नहीं देंगे ताकि साधारण जनमानस धन प्राप्ति के मोह–पास में न फँसे और राष्ट्र के लोगों की कार्य संस्कृति साफ–सुथरी व सामाजिक रहे।**

*

"मोह एक अत्यंत विस्मित जाल है,
जो बाहर से अतिसुन्दर और
अन्दर से अत्यंत कष्टकारी है;
जो इसमें फँसा
वो पूरी तरह उलझ ही गया।"

– अटल बिहारी वाजपेयी

लेख

# साइबर क्राइम से कैसे बचें

✍ **अंतरा झा,** वरिष्ठ कार्यकारी/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय/भारत सरकार

साइबर क्राइम (Cyber Crime) को यदि आसान भाषा में समझे तो यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी डिवाइस और इन्टरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुँचाया जाता है। या यूँ कहे, किसी व्यक्ति या संस्था की निजी जानकारी के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जैसे , कोई व्यक्ति किसी अन्य का डाटा उसकी मर्जी के बिना डिलीट कर दे या फिर उसमें कुछ भी बदलाव कर दे। यह कार्य साइबर क्राइम कहलायेगा। यदि आप किसी व्यक्ति के नाम से उसकी fake ID बनाते हैं तो यह भी एक साइबर क्राइम है। किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़, Online किसी भी प्रकार की ठगी या फिर ऐसा कार्य जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़े। दरअसल, साइबर क्राइम को करनेवाले लोग कुछ चुनिन्दा रास्ते अपनाते हैं जिसमें सामान्य व्यक्ति आसानी से फंस जाता है। साइबर क्राइम के कुछ ऐसे रास्ते हैं जो अपराध करने वाले व्यक्तियों द्वारा अक्सर उपयोग में लाये जाते हैं।

मानव इतिहास के साथ अपराध भी जुड़े रहे हैं। एक सभ्य समाज के साथ–साथ अपराध भी निरंतर बढ़ रहे हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार अपराधों में भी परिवर्तन होता रहा है। आज वर्तमान समय में साइबर अपराध जैसा शब्द सामने आता है। विश्व के लगभग सभी देशों में साइबर अपराध से निपटने हेतु कानून बने हैं। इस आलेख के अंतर्गत उन जानकारियों को रखा जा रहा है जो साइबर अपराध को स्पष्ट करती है। प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के बाद कंप्यूटर से संबंधित अपराधों का जन्म हुआ है जिसे आमतौर पर 'साइबर अपराध' कहा जाता है।

**साइबर अपराध अनेक प्रकार के होते हैं :–**

- हैकिंग (Hacking) साइबर अपराध का सबसे प्रसिद्ध और आम प्रकार है जिसमें एक हैकर या साइबर अपराधी अनधिकृत रूप से कंप्यूटर या

संगठन के सिस्टम में घुस जाता है। वे अनधिकृत तरीकों से सुरक्षा को ताख पर रखकर उपयोगकर्ताओं की जानकारी चोरी कर सकते हैं, नेटवर्क को नष्ट कर सकते हैं। साइबर अपराधी अपने लाभ के लिए संगठन के आंतरिक या बाहरी संबंधों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, या वेबसाइटों और नेटवर्कों के विरुद्ध प्रभावी हमले कर सकते हैं। हैकिंग निजी और सार्वजनिक संगठनों, सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, व्यापारी संगठनों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को संकट में डाल सकता है जो जोखिम, नुकसान और विश्वास को चोट पहुँचाती है।

- Theft (इंटरनेट धोखाधड़ी) इंटरनेट धोखाधड़ी एक साइबर अपराध है जिसमें अपराधी लोगों के वेबसाइट, ई–मेल, सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाईन के माध्यम से धोखा देकर उनसे पैसे, व्यक्तिगत जानकारी, या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी चुरा सकते हैं। इंटरनेट धोखाधड़ी के उदाहरण में फेक ई–मेल, जहां उपयोगकर्त्ता को वेबसाइट लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है और उनकी प्रविष्टियों के माध्यम से उनकी जानकारी चोरी की जाती है या आकर्षक उपहार प्रदान करने वाली ऑनलाईन खरीदारी वेबसाइट जो वास्तविकता से परे रहते हैं और ग्राहक धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं जिससे उपयोगकर्ताओं का विश्वास उठ जाता है।
- फिशिंग (Fishing) एक चालाकीपन का पूर्ण साइबर अपराध है जहां अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति धोखा देकर उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जो आमतौर पर फेक ई–मेल, आकर्षक या चित्रित वेबसाइट्स, सोशल मीडिया मैसेज या अन्य ऑनलाइन संदेशों का उपयोग करके आपकी आपातकालीन जानकारी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाता है। फिशिंग से प्रभावित होने पर, आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे यूजरनेम, पासवर्ड, बैंक खाता विवरण, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, या अन्य महत्वपूर्ण डेटा अनधिकृत व्यक्ति के हाथ जा सकता है। उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहना और साइबर धोखाधड़ी के लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरत सकें।

- **मैलवेयर** (Malware) साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान पहुँचाने और उनकी जानकारी चोरी करने के लिए तैयार किया जाता है। यह वायरस, ट्रो जन, रूटकिट, स्पाईवेयर और अन्य क्षतिकारक सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। मैलवेयर साधारणतः मासिक प्रवेशाधिकार द्वारा फैलाया जाता है, जैसे कि एक अद्यतन के रूप में बनाए गए आपके बैंक खाता की जानकारी की विनिमय के लिए दावा करते हुए, यह आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चोरी करने के साथ–साथ कंप्यूटर सिस्टम को अवरोधित और प्रभावित कर सकता है, जिससे आपकी गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है और नुकसान पहुँच सकती है।
- **साइबर स्टॉकिंग** (Cyber Stalking) एक साइबर अपराध है जिसमें अपराधी व्यक्ति इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति का पीछा करता है। वे उनकी गतिविधियों, ंसार्वजनिक पोस्टिंग, व्यक्तिगत संदेशों और अन्य ऑनलाइन पहचान कर्मी का ट्रैक रख सकते हैं। साइबर स्टॉकिंग का उद्देश्य व्यक्ति को भयभीत, बेचैन या धमकी देना होता है। इसके द्वारा, अपराधी व्यक्ति का व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके उन्हें परेशान कर सकता है। स्थितिगत जानकारी की चोरी कर सकता है और उनकी निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है। साइबर स्टॉकिंग आत्मविश्वास की कमी, बाध्यता और आत्महत्या के खतरे को बढ़ा सकता है।
- **डेटाब्रीच** (Data Breach) एक घातक साइबर अपराध होता है जहाँ अपराधी संगठन अनधिकृत रूप से किसी संगठन के नेटवर्क या सर्वर में प्रवेश करता है और महत्वपूर्ण डेटा को चोरी कर लेता है। यह उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय विवरण, व्यापारिक सूत्र या नए उत्पादों और सेवाओं के गोपनीय डेटा को प्रभावित कर सकता है। डेटाब्रीच के परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग अवैध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, व्यापारिक या आर्थिक हानि का कारण बन सकता है और प्रभावित संगठन की निजता और विश्वसनीयता को संदिग्ध बना सकता है।

- **की लॉगिंग** (Key logging) साइबर क्राइम में बेहद ही खतरनाक तकनीक है जिसमें Hacker आपकी keys को Software के माध्यम से जान लेता है कि आप कौन से Button दबा रहे हैं जिसके बाद वह उसी से ID और Password या बाकी अन्य जरूरी जानकारी निकाल लेता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर को Remotely या फिर Locally आपके डिवाइस में Install किया जाता है।
- **Viruses-** सभी ने Viruses का नाम बहुत सुना है हम यह भी जानते हैं कि यह हमारे डिवाइस के लिए खतरनाक होते हैं लेकिन शायद ही आपको इस बात का अंदाजा होगी कि यह आपके डाटा को चुराकर किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुँचाने का काम भी कर सकते हैं। दरअसल, हर Virus के पीछे उसके होने का अलग कारण छिपा होता है। यह सब उसकी कोडिंग पर निर्भर करता है।
- Ad Clicker यह एक ऐसा रास्ता है जिसमे उपभोक्ता को लालच दिया जाता है कि उसने 1 लाख की लॉटरी जीती है, फोन जीता है, या कोई भी अन्य प्रकार का लालच जिससे व्यक्ति उस पेज पर जाकर लॉगइन करने लग जाता है और उसकी निजी जानकारी चुरा ली जाती है।

**साइबर क्राइम से कैसे बचें?**

अभी तक आप यह अच्छे से जान गये होंगे कि साइबर क्राइम क्या है और यह किस प्रकार किया जाता है। हैकर्स किस प्रकार सामान्य लोगों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। ऐसे में अब आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि हम इन सब चीजों से कैसे बचें? आइये अब बात करते हैं कुछ ऐसे बिन्दुओं पर जो आपको Cyber Crime करने वालों से बचाने में सहायक सिद्ध होंगे :–

- पब्लिक नेटवर्क पर अपने डिवाइस को कनेक्ट न करें। हम अक्सर फ्री WiFi के लालच में आकर कहीं भी अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं जो कि बेहद नुकसानदेह है।
- अपने डिवाइस में Anti Virus का जरूर प्रयोग करें और समय–समय पर अपडेट करते रहें ताकि Viruses and Warms प्रवेश न कर सकें।

- कहीं भी अपने बैंक की Details डालते समय Virtual Keyboards का प्रयोग करें ताकि Keyloggers की चपेट में आने से बचाव हो।
- Phishing pages से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ID लॉगइन करने से पहले उस वेबसाइट के लिंक को एक बार देख लें वह HTTPS है तो वह फिशिंग पेज नहीं हो सकता।

उपरोक्त बातों को हम ध्यान में रखकर Cyber Crime करने वालों से बच सकते हैं।

**भारत में साइबर क्राइम की सजा क्या है?**

- भारत में साइबर क्राइम की सजा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) द्वारा निर्धारित की जाती है। यह अधिनयम विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के लिए विभिन्न दंड प्रावधानों को शामिल करता है। उदाहरण स्वरूप, हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस और मालवेयर वितरण, साइबर धोखाधड़ी, और अन्य इंटरनेट–संबंधी अपराधों के लिए व्यक्ति को जेल की सजा और /या जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
- किसी भी उल्लंघन की सजा इसकी गंभीरता पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के संवेदनशील डेटा को बिना अनुमति के प्राप्त किया है तो उसे तीन वर्ष तक की जेल की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अपराध की गंभीरता बढ़ने पर, सजा और जुर्माना भी बढ़ सकता है। यह जरूरी है कि हम साइबर क्राइम के खिलाफ संघर्ष करें और इसकी सजा के प्रावधानों के प्रति जागरूक रहें।

**साइबर क्राइम का मुख्य कारण क्या है?**

साइबर क्राइम के कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जिनमें दो प्रमुख कारण निम्नलिखित है :–

- **निम्न सुरक्षा मानक** (Low & Security Standards) एक बड़ा कारण है कि कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स की सुरक्षा अक्सर पर्याप्त नहीं होती

है। कई उपयोगकर्ता और संगठन अपने सिस्टम्स को सुरक्षित नहीं करते हैं, जो साइबर अपराधियों के लिए आसानी से निशाना बन जाते हैं।

- फायरवॉल, एंटी–वायरस सॉफ्टवेयर और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कमी का फायदा उठाकर अपराधी अक्सर इन सिस्टम्स को हैक करने में सफल होते हैं। उच्च स्तर की सुरक्षा मापदंडों के अभाव में हमारे डिजिटल डेटा का संरक्षण करना कठिन हो जाता है। बिना उचित सुरक्षा के हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी आसानी से संक्रमित हो सकती है या चुराई जा सकती है।
- Lack of Knowledge दूसरा प्रमुख कारण है कि कई लोग साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत नहीं होते हैं। बहुत से उपयोगकर्ता अभी भी अपने डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित और अपडेट करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए इसके बारे में नहीं जानते।
- फिशिंग ई–मेल, खतरनाक वेबसाइट्स और अनजाने स्रोतों से डाउनलोड की गई फाइलों के खतरों को पहचानने की योग्यता की अक्सर कमी होती है। इस ज्ञान की कमी के कारण साइबर अपराधियों को उनके शिकार के साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेलने की अनुमति प्रदान करती है, जिसमें फिशिंग और धोखाधड़ी शामिल होती है। हमें साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम स्वयं को और अपने डेटा को सुरक्षित रख सकें।

### साइबर क्राइम से बचने के उपाय

साइबर क्राइम से बचने के कई तरीके हैं, जो व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर अपनाए जा सकते हैं:

- Updated Software सभी डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर को नवीनतम सुरक्षा पैचों के साथ अद्यतन रखना महत्वपूर्ण है। अद्यतन करना सुनिश्चित करता है कि आपके सिस्टम में किसी भी ज्ञात सुरक्षा कमियों को ठीक किया जाता है, जो हैकर्स के लिए एक प्रवेश बिंदु हो सकते हैं।

- साइबर क्राइम से बचने के लिए नवीनतम एंटी–वायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना और इसे नियमित रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है। यह साइबर ठगों के द्वारा नए और अद्वितीय धमकियों को पहचानने में मदद करता है।
- Smart Password Management एक मजबूत पासवर्ड और उन्हें नियमित रूप से बदलने की प्रथा साइबर क्राइम से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पासवर्ड मजबूत होने के साथ–साथ, यह भी अद्वितीय होना चाहिए और विभिन्न खातों में एक ही पासवर्ड का पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए।
- Two Factor Authentication (2FA) का उपयोग करना भी एक अच्छा विचार है। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जोड़ता है, जिसमें खाते की पहचान के लिए दो अलग–अलग तरीके का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पासवर्ड के साथ–साथ एक आवेदन द्वारा उत्पादित एक समय आधारित कोड।
- फिशिंग ईमेल्स (Beware of Phishing Emails) आमतौर पर विश्वसनीय स्रोतों से आने का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये साइबर अपराधियों द्वारा भेजे जाते हैं। इनका उद्देश्य आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना या मालवेयर स्थापित करना होता है। इसलिए, अज्ञात स्रोतों से आने वाले ईमेल्स के साथ सतर्क रहें और उन पर क्लिक करने से पहले उन्हें ध्यान से जांचें। ईमेल से भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से पहले सत्यापन करना महत्वपूर्ण है। उचित सतर्कता आपको फिशिंग ईमेल्स के खतरे से बचा सकती है।
- Wi - Fi Security पब्लिक वाई–फाई नेटवर्क का उपयोग करने से पहले सोचें। ये नेटवर्क अक्सर सुरक्षित नहीं होते हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी को संक्रमित करने का खतरा होता है। व्यक्तिगत VPN का उपयोग करना एक अच्छा विचार है जब भी आपको पब्लिक वाई–फाई का उपयोग करना पड़े। VPN आपके डेटा को कोड करके इंटरनेट यातायात की निजता और सुरक्षा प्रदान करता है।

- Social Media Safety अपने सोशल मीडिया खातों की सुरक्षा को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। प्राइवेसी सेटिंग्स को समान्य जनसामान्य से बचने के लिए निजी रखें। यह साइबर अपराधियों के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी पहुँचने में कठिन बनाता है। आपकी पोस्ट कौन देख सकता है? आपके डेटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है? इस पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। अनजाने व्यक्तियों से फ्रेन्डरिक्वेस्ट्स को निरस्त करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को केवल विश्वसनीय लोगों के साथ साझा करें।

**Cyber Crime में Police की भूमिका :–**

- Cyber Crime एक बहुत ही नयी specialised field है, जो कि Internet से विस्तारित होती जा रही है। ऐसे में Cyber laws में ऐसे बहुत से नए development होने बाकी हैं जिससे की इस crimes को सही तरीके से रोका जा सके।
- देश में ऐसे कोई comprehensive law अभी तक नहीं बना है जो Cyber Crime के सन्दर्भ में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े–बड़े investigating agencies को भी इसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ये virtual world का crime हैं और इसे real world से control करना उतना आसान नहीं है।
- अगर हम भारत की बात करें तब यहाँ पर भी वैसे कुछ comprehensive नियम या laws नहीं हैं लेकिन बहुत से शहरों में cyber crime cell खोल दिए गए हैं जो कि ऐसे cases को handle करते हैं और साथ में ये जागरूकता पैदा करते हैं कि कैसे इन सभी crimes से खुद को बचा सकें।
- Cyber Cell केवल तभी ठीक ढंग से काम कर सकेगी जब victims cyber police को पूरा सहयोग करेगी और साथ में सभी जरुरत के evidence प्रदान करेगी। नए system और laws के आने में थोड़ा समय जरूर लगता है।

## साइबर क्राइम की रिपोर्ट कैसे करें?

साइबर क्राइम की घटनाओं की रिपोर्ट करना एक आवश्यक कदम है जिससे पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को इन अपराधों का सामना करने में मदद मिल सकती है। नीचे भारत में साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के चरण निम्न प्रकार हैं :–

- **साइबर क्राइम विवरण संग्रहित करें** : सबसे पहले, आपको साइबर क्राइम के सभी विवरण संग्रहित करने की आवश्यकता होगी। यदि संभव हो, तो स्क्रीनशॉट लें, ईमेल्स सहेजें और अन्य सबूत संग्रहित करें।
- **स्थानीय पुलिस थाना को सूचित करें :** अपने स्थानीय पुलिस थाना को अपराध के बारे में सूचित करें। आपको विवरण देने की आवश्यकता होगी और यदि संभव हो तो किसी भी सबूत की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करें।
- **साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं :** भारत सरकार ने साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है (www.cybercrime.gov.in)। आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं।
- **रिपोर्ट सबमिट करें :** आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, साइबर क्राइम की विवरण और सबूत अपलोड करने की आवश्यकता होगी। फॉर्म को भरने के बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी।
- **रिपोर्ट की पुष्टि करें :** आपको एक ईमेल या SMS के माध्यम से अपनी रिपोर्ट की पुष्टि की जाएगी। इसे सुरक्षित रखें, यह आपके केस का अनुसरण करने में मदद करेगा।
- **अपने केस का अनुसरण करें :** आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपने केस का अनुसरण कर सकते हैं। आपको अपने केस की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट प्राप्त होने चाहिए।

*

लेख

# ईमानदार समर्पण की ताकत

✍ **रमन तिवारी,** मुसतानि / चिकित्सा / पूमरे

एक महात्मा अपने श्रोताओं को एक कथा सुना रहे थे –

महात्मा ने कहा एक बार धरती पर लोगों के असंख्य दुःख से आहत होकर भगवान बहुत चिन्तित हुए और इस चिन्तन में लग गए कि ऐसा क्या उपाय करें ताकि लोगों के दुखों को कम किया जा सके। फिर उन्होंने सोचा कि सभी लोग किसी न किसी वस्तु की अभिलाषा में हीं दुखी होते हैं, तो क्यों न धरती पर एक दिन के लिए कोई ऐसा दुकान उपलब्ध कराया जाए जिसमें संसार का हर वस्तु मौजूद हो और जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की सबसे ज्यादा जरूरत हो, वह व्यक्ति किसी भी एक सामान को चुन कर अपने साथ ले जा सकता है वो भी बिल्कुल मुफ्त।

आखिरकार, एक दिन उन्होंने ऐसे ही दुकान का आयोजन किया। सब जगह पहले ही सूचना भिजवा दी गई कि कल इस तरह की एक दुकान का आयोजन होगा और दुकान का समय सुबह नौ बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। अनगिनत सामानों के साथ दुकान अपने नियत समय से खुला। लोग इतने उत्साहित थे कि सुबह से ही आकर दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे। जिसको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उस चीज की ओर इशारा करता और उस सामान को अपने साथ घर ले जाता। कोई घोड़ा ले गया, कोई हाथी ले गया, कोई महल, कोई हीरे जवाहरात, कोई धन तो कोई खाने का सामान। संध्या 4 बजते–बजते सब लोग अपना–अपना सामान पसंद कर घर ले गए, परंतु धोती–कुर्ते में एक गरीब व्यक्ति सुबह से शाम तक दुकान में कुछ ढूंढता हुआ दुकान के इस पार से उस पार जाता–आता रहा, लेकिन शाम होने तक शायद उसे अपनी पसंद की चीज नहीं मिली।

भगवान ये सब बड़े गौर से देख रहे थे और मन हीं मन चिंतित हो रहे थे। अंततः उन्होंने उस पुरुष को बुलाया और बोले – आज की इस दुकान में मैने दुनिया की सारी चीजें उपलब्ध कराई थीं, परंतु ऐसा कौन–सा सामान है जो तुम्हें पूरे दिन में नहीं मिली? अब तो शाम के पाँच बजने को है तथा दुकान बंद होने का समय हो रहा है। तुम कहो तो मैं भी सामान ढूढ़ने में तुम्हारी कुछ मदद करूँ? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा– भगवन! सचमुच मैं जो तलाश रहा हूँ आज आपके इस दुकान में मुझे नहीं मिला। भगवान बोले– लेकिन वत्स मैंने तो संसार की सारी वस्तुएँ आज इस दुकान में उपलब्ध कराई थी, ऐसा कौन–सा सामान है जो तुम ढूँढ़ रहे हो और वो तुम्हें नहीं मिली ? उस

व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा– प्रभु! मुझे तो आपके यहाँ चाकरी करनी है वो कहीं नहीं दिखा। प्रभु बोले– ये तो मैंने सोंचा ही नहीं था। खैर, आज का मेरा अपने आप से वादा है कि किसी को खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। तुमको मैं चाकरी पर रखने के लिये तैयार हूँ पर ये तो बताओ कि वेतन क्या लोगे?

भगवान के इस बात पर वो व्यक्ति बड़े विनम्र भाव से बोला– प्रभु! वेतन की बात तो तब आयेगी न जब मेरा काम आपको पसंद आये। अगर काम ही पसंद न आया तो वेतन का प्रश्न हीं कहाँ उठता है। भगवान समझ गए। उन्होंने उसे अपना बगीचा दिखाकर काम समझाते हुए, कल सुबह से शाम तक का काम उसे दे दिया। बड़ी लगन के साथ सुबह से शाम तक वो अपने कार्य में लगा रहा। भगवान बड़े ध्यान से उसके कार्य को देखते रहे और शाम होने पर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उसके पास गए। वो कुछ काम कर हीं रहा था तभी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए भगवान बोले–उठो, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अब बताओ, वेतन क्या लोगें? प्रभु की बात सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा– प्रभु! एक दिन के लिये तो कोई भी व्यक्ति ठीक से कार्य कर के दिखला सकता है। आप मुझे कम से कम एक सप्ताह कार्य करके दिखलाने का अवसर प्रदान करें ताकि आप भी निश्चिंत हो सके कि मैं आपके कार्य के लायक हूँ भी या नहीं। प्रभु मुस्कुराएँ और बोले–चलो ठीक है।

एक–एक दिन करके समय बीतता गया। माह बीतने पर भगवान पुनः उसके पास गए जहाँ वो अपना कार्य कर रहा था। झुककर कार्य करते हुए उस व्यक्ति के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए भगवान ने कहा–उठो, मुझे तुम्हारा कार्य बहुत पसंद आया। अब तुम अपने वेतन के बारे में बताओ। प्रभु की बात सुनकर वह व्यक्ति पुनः हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनम्र भाव से बोला– प्रभु! वेतन, सप्ताह भर का थोड़ी होता है? वेतन तो महीने भर का होता है। महीना लगने दीजिये तो वेतन का भी निर्धारण हो जायेगा। उसकी बातें सुनकर भगवान पुनः मुस्कुराए और "ठीक है" ऐसा कहकर चले गए।

माह बीता, भगवान पुनः उसके पास गए। वो यथावत झुककर अपना कार्य बड़ी लगन से किये जा रहा था। उसकी पीठ पर हाथ थपथपाते हुए भगवान बोले–उठो वत्स, अब तो महीना भी खत्म हो गया। अब तो अपना वेतन बता दो। व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा– प्रभु! मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। घर से आते समय मैंने अपने परिवार से वादा किया था कि उचित धन कमा के लाऊँगा, पर भगवन! एक मजदूर के एक महीने के वेतन से क्या होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कृपया आप अपनी चाकरी में मुझे 6–8 महीने रहने की आज्ञा प्रदान करें। उसकी मार्मिक बाते सुनकर प्रभु भी उसे मना नहीं कर पायें और 'ठीक है' कहकर चले गये।

समय पे समय बीतता चला गया। एक माह के बाद दो माह, दो माह के बाद तीन, फिर चार और बढ़ते–बढ़ते जब छः माह बीता तो भगवान पुनः

उसके पास गए। उसके झुके हुए पीठ पर हाथ रखते हुए उसे उठाए और बोले कि वत्स! अब तो छः महीने भी बीत गये। तुम्हारा परिवार न जाने किस अवस्था में दिन गुजार रहा होगा? तुम अपना वेतन बताओ। भगवान की बात सुनकर गरीब व्यक्ति हाथ जोड़कर, बोला– प्रभु! जब मैं काम करता रहता हूँ और आप मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे उठाते हैं, वो क्या मेरे लिये किसी वेतन से कम है? मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि यहीं वेतन मुझे मिलता रहे तो 6–8 महीना तो क्या, मैं आगले 6–8 जन्मों तक आपकी चाकरी करने को तैयार हूँ और ऐसा कहकर वह रोने लगा।

भगवान ने उसे चुप कराया और उसके इस समर्पण को देखकर बोले– मैंने जो दुकान खोला था उसमें से कोई हाथी खरीद के ले गया कोई घोड़ा खरीद के ले गया पर तुमने तो मुझे ही खरीद लिया। जाओ, आज के बाद तुम्हारे सारे दुःख हमारे हुए।

ये है ईमानदार समर्पण की ताकत। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति ईमानदारी से समर्पित होता है तो उसके परिणाम का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। समर्पण के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन बात जब ईमानदार समर्पण की आती है तो हम सब कहीं न कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं। जबकि असली ताकत ईमानदारी से समर्पित होने पर प्राप्त होती है या यूं कहें कि किसी इंसान का ईमानदार समर्पण उसे ऐसा यशस्वी बनाता है कि वो लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाता है।

सच्चे समर्पण के ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे इतिहास से आते हैं:–

त्रेता युग में हनुमान जी ने अपने आप को प्रभु राम के प्रति समर्पित किया था। समर्पण की ईमानदारी ऐसी थी कि श्री राम ने जब भी और जो भी कहा, हनुमान ने एक स्वर में सिर्फ 'जो आज्ञा प्रभु' कहा। कभी कोई किंतु–परंतु नहीं किया। चाहे कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो।

परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि त्रेता युग के इतने वर्षों बाद आज कलियुग में भी जहां–जहां श्री राम का मंदिर है, वहां–वहां हनुमान जी का भी मंदिर है। वो सबके लिए श्री राम जैसे आराध्य हैं।

एक उदाहरण द्वापर युग से आता है जिसमें एक व्यक्ति श्रीकृष्ण को समर्पित होता है, नाम था अर्जुन। अर्जुन श्रीकृष्ण के प्रति समर्पित तो अवश्य थे लेकिन हर बात में किंतु–परंतु के साथ। अर्जुन का समर्पण श्रीकृष्ण के प्रति समर्पण तो जरूर था परंतु ईमानदार समर्पण नहीं था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आज श्रीकृष्ण के साथ अर्जुन का नाम हमेशा लिया तो जाता है पर कोई जरूरी नहीं कि जहां–जहां श्रीकृष्ण का कोई मंदिर हो वहां–वहां अर्जुन का भी मंदिर हो।

द्वापर युग से हीं समर्पण का एक और उदाहरण देखने को मिलता है जिसमें एक शिष्य समर्पित होता है अपने गुरु के प्रति, नाम था–एकलव्य। गुरु

ऐसे थे जिन्होंने शिष्य को कभी कोई शिक्षा नहीं दी, परंतु शिष्य का समर्पण इतना ईमानदार था कि गुरु के एक इशारे पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु आज्ञा के अनुरूप बिना पल भर की देरी किए दक्षिणा के रूप में तुरंत दान कर दिया और गुरु के प्रतिमा के समक्ष तीरंदाजी का अभ्यास करता रहा वो भी बिना अंगूठे का, बचे हुए अंगुलियों के मध्य तीर को पकड़ के।

परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आज भी तीरंदाजी की जब कोई प्रतियोगिता होती है वो चाहे ओलम्पिक हीं क्यों न हो, प्रतियोगी एकलव्य द्वारा सिखाये गये तरीके से तीर चलाते हैं यानि मध्य की अंगुलियों के सहारे ना कि अर्जुन की तरह अंगुठे के सहारे ।

बालक ध्रुव की कथा हम सबने बचपन से सुन रखी है। सुनीति पुत्र ध्रुव को जब उनकी सौतेली माँ ने अनीतिपूर्वक उन्हें उनके पिता की गोद से उतार दिया तब ध्रुव की माता ने विचलित ध्रुव को समझाया कि पिता की गोद से भी ऊँचा और अमर स्थान पाना है तो भगवान को समर्पित हो जाए। बालक ध्रुव ने माता की बात मानते हुए अपने आप को भगवान के प्रति ईमानदारी से समर्पित कर दिया और समर्पण की ऐसी पराकाष्ठा की कि भगवान को विवश होकर उसे वरदान देना पड़ा जिससे उसे ध्रुवतारा के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा हरिशचंद, सारा राज्य दान में देने के बाद जब उनको श्मशान घाट पर शवकर्ता का कार्य करना पड़ा, तो उसे भी उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर पूरी ईमानदारी व समर्पण से पालन किया। कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब उन्हीं के पुत्र का मृत शरीर जलाने के लिये उनकी पत्नी वहाँ लेकर आयीं जिनके पास घाट का कर चुकाने के लिये कुछ भी नहीं था। परन्तु, सब कुछ जानते हुए भी, बिना कर लिए उन्होने अपने हीं पुत्र के मृत शरीर को जलाने से मना कर दिया। कर के रूप में देने के लिए जब उनकी पत्नी ने अपनी साड़ी का आँचल जैसे ही फाड़ा पूरे आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी।

कर्तव्य के प्रति ऐसे ईमानदार समर्पण का कोई दूसरा उदाहरण आज तक देखने को नहीं मिलता। इसी का परिणाम है कि ईमानदारी की जब भी कोई बात आती है तो राजा हरिशचंद का नाम सबसे पहले आता है।

हमें भी अपने देश, समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी से समर्पित होने की जरूरत है। महान दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा है ''जब तुम अपने काम के प्रति समर्पित होते हो, तो तुम्हारा काम, तुम्हारी पहचान बन जाता है।''

*

लेख

# सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि

✍ **शम्भु कुमार,** निजी सचिव HI/भंडार/पूमरे

सत्यनिष्ठा की जब बात होती है तो हमें पहले यह समझना होगा कि सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या है? सत्यनिष्ठा दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य और निष्ठा। अगर हम इसे ऑफिस के कार्य से जोड़ कर देखें तो इसमें यह आएगा कि हम अपना कार्यालयी कार्य कितना सत्यता व गंभीरता के साथ करते हैं और हम अपने कार्य के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि समय पर ऑफिस आना और समय से ऑफिस से जाना यह भी कर्तव्यनिष्ठ की श्रेणी में आएगा। हम अपना पूरा समय कार्यालय कार्य में लगाते हैं और समय पर या समय से पहले ही अगर हम अपने कार्य का निष्पादन कर पा रहें हैं तो यह हमारी कार्यालय कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठा है। इससे एक फायदा यह भी होता है कि इससे हमें आत्मसंतुष्टि एवं खुशी का अनुभव होता है।

सत्य निष्ठा हमारे मन में जो भी बात सत्य है उसके प्रति जो निष्ठा होती है वही एक व्यक्ति की सत्य निष्ठा कहलाती है यह सत्य कर्तव्य भी हो सकता है, प्रेम भी, बलिदान भी और समर्पण भी। जैसे एक स्त्री की रक्षा के लिए एक पुरुष को अपने प्राण तक न्यौछावर कर देनी चाहिए यह उसकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण होता है। तो क्या हम कार्यालय कार्य को ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं ? इसका एक उदाहरण हैं– राजस्थान की वीरांगनाएं जिन्होंने चरित्र के प्रति और अपने पतिव्रता धर्म के प्रति निष्ठा के कारण अग्नि में कूदकर जौहर किया उनको यह ताकत कहां से मिलती थी, उनकी चरित्र की सत्यनिष्ठा से। एक व्यक्ति का अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का पूरे मन से पालन करना उसकी सत्यनिष्ठा पर ही निर्भर करता है क्योंकि एक व्यक्ति कर्तव्य का पालन तभी कर सकता है जब वह अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठ हो और आज हमारे देश को इसी बात की जरूरत है जैसे

पहले के लोग अपने कर्तव्य पालन के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर देते हैं। पन्नाधाय जैसी स्वामी भक्त, गोरा बादल जैसे वीरों ने अपने कर्तव्य के लिए जो बलिदान दिया उन्हें पूरी दुनिया जानती है। अपने कर्तव्य के प्रति एक व्यक्ति की सत्यनिष्ठा ही उसे उसके चरित्र को उसके जीवन को उच्च स्तर का बनाती है। आज हमारे देश में जो बुराइयां, भ्रष्टाचार, लूटखोरी, गरीबी है, उसका कारण सिर्फ यही है कि आज बहुत कम लोग अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा का भाव रखते हैं इसलिए इसके विकास की परम आवश्यकता है।

आज हर जगह लिखा मिलता है कि "आप कैमरे की नज़र में हैं।" हमारी नज़र जैसे ही इस वाक्य पर जाती है हम अलर्ट हो जाते हैं। पर क्या हम अपने जीवन के हर कर्म में इस अलर्टनेस को अपनाते हैं? क्या जहाँ CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है क्या हम वहाँ भी अलर्ट रहते हैं कि हमसे कोई भी भ्रष्ट आचरण न हो या कोई गलत कार्य न हो? इसके लिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी से सत्यनिष्ठा को अपनाना होगा। कोई व्यक्ति कार्यालय में या कहीं भी भ्रष्ट आचरण क्यों करता है उनसे पूछिए तो कहेंगे कि बीबी बच्चों के लिए करते हैं। यहाँ पर डाकू रत्नाकर की कहानी याद आती है कि जब नारद जी उनसे पूछते हैं कि "तुम यह पाप कर्म किसके लिए कर रहे हो?" तब उनका भी यही जवाब होता है कि वह अपने माता–पिता और बीबी बच्चों के लिए कर रहा है। परन्तु जब उस पाप कर्म का फल भोगने की बारी आती है तो क्या सभी उसके पाप में भागीदारी बनेंगे, तब उनको जवाब मिलता है कि उनके द्वारा किए गए पाप कर्म की सजा सिर्फ उन्हें ही भोगने हैं तब उन्हें आत्मग्लानि महसूस होती है और वही आगे चलकर महर्षि वाल्मिकी बन जाते हैं।

ठीक उसी तरह से सबसे पहले तो हमें यह याद रखना होगा कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं चाहे कार्यालय में या कहीं भी, उसको दो जगह स्वतः रिकॉर्ड किया जा रहा है। दो CCTV कैमरे हमेशा हमारे साथ चलता है और हमारे सभी कर्म को रिकॉर्ड करता रहता है। पहला है हमारी आत्मा। उसके लिए हमें सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लेना होगा कि हम कर्म भले अपने शरीर से कर रहे हों परन्तु इस शरीर का भी मालिक आत्मा है क्योंकि जब

आत्मा शरीर से निकल जाती है तब हमारे पास शरीर होते हुए भी हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सदैव याद रखना होगा कि जैसे छोटी सी मेमोरी कार्ड या चिप में कई जीबी डाटा स्टोर रहता है। अब तो टीबी तक डाटा रिकॉर्ड कर रख सकते हैं ठीक उसी तरह हमारे शरीर में आत्मा भी हमारे सभी कर्मों को रिकॉर्ड करता रहता है और हमें हर हाल में अपने कर्मों का फल हमें खुद ही इसी जीवन में भोगना है।

दूसरी CCTV हैं परमात्मा। जब हम कर्म करते हैं तो कोई देखे या न देखें परन्तु परमात्मा तो देख ही रहे हैं। "हम परमात्मा की नज़र में हैं। जब सदैव यह याद रखेंगे तो हम कभी भ्रष्टाचार में नहीं पड़ सकते और हमसे कभी भी कोई गलत कर्म नहीं होगा। हम कहते भी हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें देखते रहते हैं फिर पाप कर्म या भ्रष्ट कर्म करते समय हम यह क्यों भूल जाते हैं? इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सदैव यह याद रखें कि हम परमात्मा की नज़र में हैं ।

जब हम अपना हर कार्य सत्यनिष्ठा और पूरी ईमानदारी से करेंगे तो इससे न सिर्फ हमें व्यक्तिगत बल्कि इससे पूरे समाज और देश की समृद्धि में भी फायदा होगा। क्योंकि जब कार्य के एवज में किसी को भी घूस या गिफ्ट नहीं देंगे तब उस पैसे को हम उस कार्य में लगा सकते हैं और निश्चित रूप से उस कार्य की गुणवत्ता बेहतर होगी और आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि राष्ट्र के सारे कार्य बेहतर गुणवत्ता से किया गया हो और अगर कार्यालय कार्य के एवज में कोई भी घूस या गिफ्ट आदि की मांग करते हैं तो उसकी शिकायत के लिए CVC/Vigilance जैसे संगठन बनें हैं, इनमें शिकायत की जा सकती है।

*

लेख

# भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग

✍ **शैलेश कुमार,** गो. सहायक/सतर्कता

**पूरे भारत में बजाओ डंका**
**भ्रष्टाचार की जलाओ लंका**

भ्रष्टाचार वह कैंसर है जो देश को अन्दर ही अन्दर खोखला करते जा रहा है। कुछ लोग अभाव के कारण भ्रष्टाचार करते हैं तो कुछ असमानता, जैसे– आर्थिक, सामाजिक या सम्मान पद–प्रतिष्ठा पाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। परन्तु यह बड़ा आदमी/अमीर बनने का शॉटकट तरीका है जिसमें पग–पग पर खतरा है। आए दिन हमलोग अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां कर्मी रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा गया। फलां अधिकारी/कर्मचारी के घर छापा पड़ा जहां करोड़ों रुपए की अवैध सम्पत्ति बरामद हुई। पुलिस आपको पकड़कर ले जाती है। इस प्रकार आपका प्रतिष्ठा तो गया ही सारे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। यहां तक कि आपके बच्चे भी आपसे नफरत करने लग जाते हैं। अतः भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें।

हमें रिश्वत लेनेवाले और रिश्वत देनेवाले दोनों व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। देश में जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ सरकार द्वारा जारी किए गए सहायता नंबर पर संपर्क करके भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत करना चाहिए। शिकायत को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए तथा शिकायतकर्त्ता का मनोबल बढ़े इसके लिए उनके रूके कार्य को तुरन्त निपटारा कर दिया जाना चाहिए।

समाज में समानता लाने के लिए भ्रष्टाचार के इस जहरीले सांप को कुचल दिया जाना बहुत ही जरूरी है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन छेड़ रखी है। लगभग सभी सरकारी दफ्तरों एवं जन–सुविधा केन्द्रों में ऑनलाइन सेवा बहाल कर दी गई है जिसमें सरकारी कार्यों में काफी पारदर्शिता आई है। लेकिन जब तक आम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हमें अपने जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान होना होगा तथा किसी भी प्रकार के लोभ/लालच में नहीं फंसना होगा।

अतः आज हमें यह प्रण लेना चाहिए कि न घूस लेंगे न देंगे। कहीं भ्रष्टाचार दिखे तो आवाज उठाएंगे तथा ईमानदारी से जीवन शैली अपनाकर देश को समृद्ध बनाने में अपना सफल योगदान देंगे।

*

## क्या करें और क्या न करें

# कार्य अनुबंध

✍ आशुतोष झा
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत)/पूमरे

**क्या करें:–**

- प्राक्कलन और निविदा अनुसूची को अंतिम रूप देने के पूर्व बाजार दर का सर्वेक्षण करें, निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य सूची में दिए गए दर का ध्यान रखें तथा यथोचित एवं वास्तविक दर की विवेचना करें।
- रेलवे बोर्ड/मुख्यालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन आई टी और निविदा दस्तावेज पात्रता मानदंड और समतुल्य कार्य का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- आपात स्थितियों को छोड़कर, समुचित रेस्पांस को प्रोत्साहित करने हेतु निविदाओं को खोलने के लिए नियमानुकूल पर्याप्त एवं उचित समय दी जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित कर लें कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निर्दिष्ट सक्षम स्तर के अधिकारियों की निविदा समिति का गठन वर्तमान आदेशों के अनुसार हुआ हो।
- निविदा में ईएमडी, एसडी, पीजी की शर्तें मौजूदा नियम के अनुसार होनी चाहिए।
- विलंबित/देर से आए हुए निविदाओं को वर्तमान नियमों के अनुसार निष्पादित करें।
- रिंग/कार्टल गठन की पहचान करने के लिए सहयोगी संस्थाओं की शिनाख्त करने का प्रयास करें।
- यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा समिति की कार्यवृत में दर के औचित्य का विस्तृत विवरण हो। यह सिर्फ पहले की स्वीकृत दर के संदर्भ में ही नहीं होना चाहिए बल्कि बाजार दर और अन्य कारकों, जो कि दर्शाए गए दर में भी हो सकता है, को ध्यान में रखने के बाद किया गया हो।

## Do's and Don'ts

# Works Contract

✍ **Ashutosh Jha**
Dy. CVO (Elect.)/ECR

**DO'S:**

- Survey market rate and consider the rate offered by the manufacturers/suppliers on the rates quoted in the price list and make a proper & realistic rate analysis before finalizing the estimate and tender schedule.
- Ensure incorporation of eligibility criteria, similar nature of work strictly as per Railway Board/HQ's guidelines in NIT and tender document.
- Allow the prescribed time for opening of a tender to encourage proper response-except in exigencies with the approval of competent authority.
- Ensure that tender committee is constituted of competent level of officers specified as per extant orders nominated by competent authority.
- EMD, SD, PG conditions in the tender should be as per extant rule.
- Deal the delayed/late received tenders as per extant rules.
- Attempt identification of sister concerns to detect ring/ cartel formation.
- Ensure detailed deliberation of reasonableness of rates in the tender committee minutes. This should not only be with reference to previously accepted rates but also after taking into account of market rates and other factors which may have bearing on quoted rates.

- प्रत्येक एकल मद के साथ–साथ कुल लागत के संबंध में दर की औचित्य पर पहुँचने के लिए समरूप/सदृश/निकटवर्ती क्षेत्र में समान मद के बारे में उपलब्ध संदर्भित सूचनाओं का ध्यान रखें।
- यह सुनिश्चित करें कि विशेष कर महत्वपूर्ण एकल मद के कुल लागत और दर दोनों के मामले में दर को गंभीर रूप से, तार्किक और तकनीकी रूप से जाँच ली गई हो।
- प्रस्तावों की परस्पर स्थिति सही होने की स्थिति पर पहुंचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि सभी विशेष शर्तों के साथ वित्तीय विविक्षा प्राप्त कर ली गई हो।
- प्रस्ताव और विशेष सिफारिश के मामलों में निविदाकर्ता के लिए दी गई शर्तों पर पूरा सोच–समझ लें और इन्हें निविदा समिति के कार्यवृत में अवश्य दर्ज कर दें।
- ध्यान रखें Negotiation एक अपवाद होना चाहिए न कि नियमित (जहां दर तार्किक रूप से ज्यादा न हो और पुनः टेंडर करना संभव और वांछनीय न हो)।
- न्यूनतम वैध निविदा दाता से दर का मोल–भाव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से होना सुनिश्चित करें।
- यदि न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकार करने लायक नहीं हो तो इसे अनदेखा करने के लिए संबंधित प्रमाणिक और विस्तृत विवरण दर्ज करें।
- यह सुनिश्चित करें कि निविदा समिति के कार्यवृत में संबंधित सूचना जैसे तिथि, मीटिंग का स्थान एवं तिथि के साथ सभी सदस्यों का हस्ताक्षर बना हुआ है।
- असहमति नोट के साथ निविदा समिति के संस्तुतियों को सावधानी से संसाधित करें।
- सिर्फ निविदा समिति के कार्यवृत में स्वीकृति या अन्यथा को दर्ज करें और पन्नों पर ठीक प्रकार से नंबर डालें।
- कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्मुक्त होने वाले सामानों की संयुक्त निरीक्षण कर सूची बनाएं।

- Consider all the relevant information available about similar items in the same or similar/adjoining areas for arriving at reasonableness of the rate in respect of individual items as well as total cost.
- Ensure that the reasonableness of rates is examined critically, logically and technically and specifically, both in respect of total cost and rates of important individual items.
- Ensure that all special conditions having financial implications are evaluated to arrive at correct inter-se position of the offers.
- Deliberate on all the conditions put forth for the tenderer in the offer and specific recommendation in respect of those conditions and it must be recorded in TC minutes.
- Remember negotiations should be an exception and not on regular basis.
- Ensure negotiation with lowest eligible tenderer only after getting approval of competent authority.
- Record relevant, valid & detailed reasons for overlooking the lowest offer if it is not acceptable.
- Ensure that the tender committee minutes contain the relevant information as the date, venue of the meeting and signature with date of all members.
- Treat the TC recommendation with dissenting notes carefully.
- Record the acceptance or otherwise on the body of the tender committee minutes only and pages should be correctly numbered.
- Joint inspection of inventory is to be carried out for the material to be released before commencement of the work.

- कार्य समाप्ति के पहले सुनिश्चित करें कि निर्मुक्त हुए सामानों को लेखा में लिया गया है।
- संवेदक को जारी किए गए रेलवे सामग्रियों का उचित लेखा–जोखा रखें।
- कार्य शुरू होने से पहले संवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का निरीक्षण एवं पासिंग सुनिश्चित करें तथा रेकार्ड का उचित रख–रखाव करें।
- संवेदक को सामग्री सिर्फ अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से एवं कार्य प्रगति के अनुसार ही जारी करें। कार्यों के संपादन के दौरान प्रमाणिक अनुमोदित आरेख एवं विशेष विवरण जैसे RDSO/IS का अनुकरण करें।
- संविदा के शर्तों के अनुसार कार्य के सम्पादन हेतु योग्य तकनीकी पर्यवेक्षक के लिए जोर डालें।
- कार्य कराते समय करारनामा में अंकित स्पेसीफिकेशन एवं नवीनतम संशोधित आरेख का पूर्ण रूप से ध्यान रखें।
- रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों, संयंत्र और कलपूर्जों का भाड़ा खर्च की वसूली, कार्य के तुरंत बाद संवेदक के क्रियाशील बिल से सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक पद में अतिरिक्त कार्य संपादन के पहले सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति सुनिश्चित करें ताकि करार दूषित न हो।
- मापन पुस्तिका में मापों को अंकित करने में Engineering Code के पारा 1315 एवं 1322 का अनुसरण करें। माप निर्दिष्ट स्थानों के साथ अंकित होने चाहिए।
- Field Book को अनुरक्षित करें जिसमें दैनिक प्रगति का विवरण कार्यस्थल के कार्य प्रगति के सापेख अंकित करें।
- कार्यस्थल पुस्तिका को अनुरक्षित करें जिसमें अधीनस्थ कार्यपालकों एवं संवेदक को दिए गए निर्देश सम्मिलित हो।

- Ensure all released materials are taken into account before work completion.
- Keep proper accountal of Railway materials issued to contractors at the site of work.
- Ensure inspection and passing of materials supplied by contractors before work starts and maintain proper records.
- Issue materials to the contractors only through authorized agents and control the issued material commensurate with progress of work. While execution or works, follow the standard drawings & specification like RDSO/IS.
- Insist for qualified technical supervisors for execution of works as per contract conditions.
- Refer the specifications & drawings thoroughly along with latest amendments as mentioned in the agreement.
- Ensure recovery of cost of materials supplied by Railways, hire charges for tools & plants etc. from the contractor's running bills immediately after their use.
- Ensure prior administrative approval of competent authority before executing additional quantities in each item so that the contracts are not vitiated.
- While recording measurements in the MB, follow the Engineering Codes 1315 and 1322. The measurements recorded should be specific with locations.
- Maintain field Book consisting of details of daily progress recording particulars with reference to works in progress location.
- Maintain site order book consisting of instruction issued to the Executive, sub ordinate and contractor.

- आपूर्ति सामग्रियों को स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सामग्री का ब्यौरा संविदा करारनामा के अनुसार हो।
- संपादित कार्यों का 20% परीक्षण जांच, मदवार एवं स्थान को दर्शाते हुए किया जाना चाहिए।
- संवेदक द्वारा अनुसूचित सामग्री को DMTR खाता में उचित चालान एवं जांच प्रतिवेदन के साथ लेना चाहिए।
- कंपनी को मांगपत्र एवं क्षतिपूर्ति बंध पत्र जमा करने के पश्चात ही संवेदक प्रतिनिधि को कार्य करने हेतु सामग्री निर्गत करना चाहिए।
- केबलों के बिछाने हेतु केबल खन्दक की गहराई ईंटों, बालू का प्रावधान इत्यादि का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- DMTR एवं अंतरणों को प्रतिदिन जरूर बंद करें एवं सप्ताह में एक बार DMTR पर आद्याक्षर करें।
- दर संविदा वस्तुओं के बिल पारित करते समय दर संविदा के शर्तों के अनुसार वारंटी प्रमाण पत्र हेतु जोर दें।
- सामग्रियों के निरीक्षण प्रमाण पत्र को संविदा के मांग के अनुसार सत्यापित करें।
- निरीक्षण प्रमाण पत्र पारित करने से पहले DMTR को सत्यापित करें।

**क्या न करें:–**

- ✤ प्राधिकारी विशेष के स्वीकृति की शक्ति के अंतर्गत कार्य की कीमत रखने के लिए कार्य की निविदा बुलाने के निहित, कार्य को विभाजित न करें।
- ✤ पात्र ठेकेदारों की सहभागिता को सीमित करने के लिए, अनावश्यक/अप्रासंगिक शर्तें न लगाए।
- ✤ निविदा खुलने के पश्चात प्रस्ताव (प्रस्तावों) में संशोधन को शामिल न करें।
- ✤ अन्य मामलों/समीप वाले क्षेत्र में उसी निविदाकर्ता को अन्य ठेका देते समय खराब निष्पादन के आधार पर प्रस्ताव/निविदा अस्वीकृत न करें।

- Ensure before accepting the materials for their make and specification are as per contract agreement.
- The 20% test check should be specific with item and the location of the work checked.
- Supply portion in schedule by contractor should be taken into DMTR account with proper invoice bills and test reports.
- Issue of materials to contractor representative for execution should be done duly after receipt of requisition of firm and after submission of INDEMNITY bond.
- For laying of cables in cable trench proper care to be taken regarding depth, provision of bricks, sand cushion etc.
- DMTR transactions must be closed on every day and initial the DMTR once in a week.
- Insist for warranty certificate as per terms of rate contract while passing bills for RC items.
- Verify inspection certificate as per contract requirements.
- Verify the DMTR before passing inspection certificate.

**DON'TS**

- ✤ Do not split work to call separate tenders to keep the value of the work within acceptance powers of particular executive.
- ✤ Do not restrict the participation of all eligible contractors by including unnecessary/irrelevant special conditions.
- ✤ Do not entertain modification to offer (s) subsequent to opening of the tenders.
- ✤ Do not reject the offers/tenders on account of poor performance while awarding another work to the same tenderer in other cases/adjacent areas.

- ✤ प्राप्त प्रस्ताव के विचार के दौरान/निविदा आमंत्रित करने के दौरान दिए गए पात्रता मानदंड में बदलाव न करें।
- ✤ निविदा समिति गठित हो जाने के बाद समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन एवं उचित मान्य कारण (यदि कोई हो) दर्ज किए बिना निविदा समिति के सदस्यों को न बदलें।
- ✤ निर्दिष्ट अपवादात्मक परिस्थितियों के अलावा विलंबित/देर प्राप्त निविदा पर विचार न करें। (निविदा के आमंत्रण में देरी होने की स्थिति में इसे विचारार्थ रेलवे बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है)।
- ✤ यदि आप निविदा समिति के सदस्य है तो स्वीकृति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग न करें।
- ✤ निविदाओं पर विचार करते समय, निविदा को खुलने या मोल तोल करने के पश्चात निविदाकर्ताओं के पत्र/अभ्यावेदनों पर विचार न करें।
- ✤ निविदा समिति द्वारा विचार नहीं किए जानेवाले आशोधित प्रस्तावों पर विचार न करें।
- ✤ किसी प्रस्ताव विशेष के सुयोग्यता या अन्यथा पर निविदा समिति के विवेचना से पूर्व प्रतिक्रिया न दें।
- ✤ संस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति को प्रभावित करने के लिए विशेष शर्तों का मूल्यांकन करने में असंगतियों को न आने दें।
- ✤ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी गैर–अनुसूची मदों को परिचालित/समाविष्ट न करें। अपवादात्मक मामलों में जहां ऐसा किया ही जाना हो वहां आवश्यक साइट रिकार्ड अनुरक्षित करें।
- ✤ किसी निविदा के कार्य के बड़े मद के मामले में एकल मद का असामान्य रूप से उँचा और अव्यावहारिक दर स्वीकार न करें।
- ✤ जहां एक या अधिक शेड्यूल आइटमों को मिलाकर काम किया जाना संभव हो, नन– शेड्यूल आइटम से कार्य नहीं करना चाहिए।
- ✤ एक कार्यस्थल पर दो या अधिक संस्था को अनुमति न दें।

- ✤ Do not alter the eligibility criteria laid down while calling tender/during consideration of the offers received.
- ✤ Do not change the TC members once constituted, without prior approval of competent authority and proper valid recorded reasons, if any.
- ✤ Do not consider delayed/late received tenders except under specified exceptional circumstances. (It requires RB's approval to consider late/delayed offer).
- ✤ Do not exercise the powers of the accepting authority in case you are a member of the tender committee.
- ✤ Do not entertain letters/representations of tenderers subsequent to the opening or negotiation while considering of tenders.
- ✤ Do not accept modified offers, not considered by the Tender Committee.
- ✤ Do not advise the tender committee prior to their deliberations on the suitability or otherwise of any particular offer.
- ✤ Do not allow anomalies in evaluation of special conditions to affect the acceptance of the offer recommended.
- ✤ Do not operate/incorporate any new non-schedule items without sanction of the competent authority. In exceptional cases where it has to be done, maintain necessary site records.
- ✤ Do not accept the individual item rates abnormally high and unworkable in respect of major items of work in a tender.
- ✤ Do not operate non-scheduled items where it is possible to do work as per schedule or a combination thereof.
- ✤ Do not allow two or more firms to execute work at one site.

- ✤ संवेदक को ज्यादा मुनाफा वाली मदों के कार्यों को उसके इच्छानुसार पहले संपादन करने की अनुमति न दें ताकि संवेदक में पूरे कार्य को संपन्न करने की रूचि बनी रहे।
- ✤ बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के, अनुसूची में दी गई मात्रा से ज्यादा सामग्री को स्वीकार न करें।
- ✤ एक संस्था द्वारा आंशिक रूप से छोड़े हुए कार्यों को संपादन हेतु किसी अन्य संस्था को अनुमति देने के पहले अंतिम माप ले लें एवं उसे पूर्व संवेदक एवं नवीन संवेदक से स्वीकृत करा लें।
- ✤ संवेदक द्वारा किए गए विभागीय उपकरणों के उपयोग के बिल की वसूली को संवेदक के अंतिम बिल तक इकट्ठा न होने दें।
- ✤ कार्य के परिपूर्ण मदों का भुगतान कार्य स्थल पर सामग्री आने मात्र से न करें जब तक कि संवेदक इसे कार्य की मदों के अनुसार उपर्युक्त स्थान पर लगा न दे।
- ✤ अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों की माप पुस्तिका पर अंकित न करें।
- ✤ बिना उचित प्राधिकार के वाह्य उपभोक्ता/संवेदक को बिजली की सप्लाई न दें।
- ✤ कार्य के दौरान निर्मुक्त हुए सामान का करार की शर्तों के अनुसार लेखा–जोखा किए बिना कार्य की माप न करें।
- ✤ माप पुस्तिका को बिना कार्य संपादन के न भरें।
- ✤ आपूर्ति सामग्री बिना सही जांच के न स्वीकार करें।
- ✤ कार्यस्थल की आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना श्रमिक हिस्सा परिचालित न करें।
- ✤ समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना RDSO/RITES निरीक्षण को प्रेषणी निरीक्षण में न बदलें।
- ✤ मूल पर्चा एवं चालानों के बिना सामग्री स्वीकार न करें।
- ✤ कार्य के संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के अनुमोदन बिना कार्यस्थल को परिवर्तित न करें।

- ✤ Do not allow the contractor first execute only those items considered more profitable at discretion, so that contractor's interest in completing the whole works remains.
- ✤ Do not accept the materials more than the scheduled quantity without obtaining approval from competent authority.
- ✤ Do not allow execution of partly left over works by another agency before taking final measurements of earlier contract and getting them accepted both by the old and the new contractor.
- ✤ Do not allow recoveries on accounts of use of departmental machinery by contractors to be accumulated up to the final bill.
- ✤ Do not make payment of a finished item of work on mere arrival of the material at site unless it is fixed in position as per description of the item of work.
- ✤ Do not record the measurements for such works, which are incomplete/defective.
- ✤ Do not extend the temporary power supply to outsiders/ contractors without proper authority.
- ✤ Do not record the measurement towards dismantling/ releasing work without ensuring proper accountable of released materials as per contract conditions.
- ✤ Do not Record measurements without carrying out the work.
- ✤ Do not accept supplied material without verification.
- ✤ Do not operate labour portion without ensuring site requirements.
- ✤ Do not change RDSO/RITES Inspection to consignee inspection without approval of competent authority.
- ✤ Do not accept the material without original bills and invoices.
- ✤ Do not deviate the location without approval of sanctioning authority of the work.

## सिग्नलिंग और टेलीकॉम केबल बिछाने के लिए क्या करें और क्या न करें

### क्या करें

- केबल आमतौर पर ट्रैक के समानांतर बिछाई जाती है और गहराई जमीनी स्तर से कम से कम 1.0 मीटर रखी जानी चाहिए।
- केबल रूट योजना को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभागों द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए ।
- जब तक अपरिहार्य कारण न हो, केबल/डक्ट को तटबंध से (लगभग 2 मीटर) आगे बिछाया जाएगा।
- चोरी और चूहे आदि के प्रवेश से बचने के लिए चौंबर/लोकेशन/सीटी बॉक्स में केबल के प्रवेश और निकास को ठीक से सील किया जाना चाहिए ।
- ट्रैक क्रॉसिंग और रोड क्रॉसिंग पर केबल एचडीपीई पाइप या निर्दिष्ट/अनुमोदित क्रॉस सेक्शन और ताकत के कंक्रीट डक्ट में बिछाया जाना चाहिए ।
- उत्खनन या खुदाई कार्य शुरू होने से पहले ओपन लाइन स्टाफ की उपस्थिति में निष्पादन एजेंसी द्वारा साइट पर केबल मार्ग को (सफेद चाक/चूने से) चिह्नित किया जाना चाहिए ।

### क्या न करें

- सेक्शन मे केबल/डक्ट का कोई भी जिग–जैग पाथ रखा जाना ।
- इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभाग की मंजूरी के बिना ही केबल बिछाने का काम शुरू कर देना ।
- केबल रूट ट्रेंचिंग और केबल बिछाने का काम मानसून सीजन में शुरू करना ।
- एचडीपीई पाइप या कंक्रीट डक्ट के बिना ट्रैक क्रॉसिंग और रोड क्रॉसिंग पर केबल बिछाना
- अर्थ वर्क के लिए सिगनल विभाग द्वारा इशारे से केबल रूट प्लान बता देना ।

*

## Do's and Don'ts for laying of Signalling & Telecom Cables

**Do's**

- Cable is generally laid parallel to the track & depth should be maintained minimum 1.0 meter from ground level.
- Cable route plan shall also be approved by Engineering & Electrical departments.
- Cable/Duct shall be laid beyond embankment (approx. 2 meter) unless unavoidable.
- Entry & Exit of cable in Chamber/Location/CT Box shall be properly sealed to avoid theft & entry of rodents.
- Cable at the Track crossing & Road crossing shall be laid in HDPE pipe or concrete duct of specified/ approved cross section and strength.
- Cable route shall be marked (white chalk/lime) on site by executing agency, in presence of open line staff before the start of excavation or digging work.

**Don'ts**

- Any zig-zag path of Cable/Duct to be kept.
- Cable laying work is started without approved by Engineering & Electrical departments.
- Cable route trenching & laying work is started in monsoon season.
- Cable laying at Track crossing & Road crossing without HDPE pipe or concrete duct.
- For earth work, Show the Cable route plan by gesture

*

## क्या करें और क्या न करें

# चयन

✍ **कामेश्वर पाण्डेय**
मुख्य सतर्कता निरीक्षक (कार्मिक)/पूमरे

**क्या करें:–**

- चयन हेतु अधिसूचना जारी करने से पहले रिक्तियों की संख्या का सही आकलन और अनुमोदन किया जाना चाहिए।
- अधिसूचना में समुदायवार (एससी/एसटी/यूआर) ब्यौरा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- अधिसूचना जारी करने को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्मिक विभाग (आरपी सेल) ने समुदायवार रिक्तियों की जाँच और पुनरीक्षण किया है।
- यह सुनिश्चित करना है कि रिक्तियां लागू पद आधारित रोस्टर के अनुसार हों।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अवधि का पदोन्नति–पूर्व प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- यदि आवेदन आमंत्रित करने के बाद या चयन शुरू होने के बाद पात्रता की शर्त में कोई परिवर्तन किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उन सभी अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाये जो पात्रता की संशोधित शर्तों के अनुसार पात्र हो गये हों ।
- चयन समिति का गठन रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- कार्मिक विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के नवीनतम निर्देशों/दिशा–निर्देशों की प्रतिलिपि नामांकन के समय ही चयन समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- चयन समिति के सदस्य विशेषकर प्रश्नपत्र निर्माता और मूल्यांकनकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें नवीनतम निर्देश प्राप्त हो गए हैं। पेपर सेट करने या मूल्यांकन कार्य शुरू करने से पहले दिशा–निर्देशों का पालन करें।

## Do's and Don'ts

# SELECTIONS

✍ **Kameshwar Pandey**
CVI(P)/ECR

**DO'S:**

- The number of vacancies should be correctly assessed and approved before issuing notification for selection.
- Notification should clearly indicate category wise (SC/ST/ UR) breakup.
- Authority approving issue of notification must ensure that Personnel department (RP cell) has examined and vetted the community wise break up of vacancies.
- This is to ensure that vacancies are as per applicable Post based Roster.
- Pre-promotional training of stipulated duration for SC/ST candidates should be ensured.
- If a change is introduced in the eligibility criteria after called for applications or after the selection started, it should be ensured that opportunity has been given to all candidates who have become eligible according to the revised eligibility criteria.
- Selection committee should be constituted as per Railway Board's guidelines.
- Copy of latest Railway Board instructions/guidelines should be made available by the Personnel department to selection committee members at the time of their nomination.
- Members of selection committee especially question paper setter and evaluator should ensure that they have received latest instructions/guidelines before setting the paper or starting the evaluation.

- आरबीई–96/18 के अनुसार अब से सभी पदोन्नति परीक्षाओं में प्रश्नपत्र 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसके अलावा सभी प्रश्न केवल बहुविकल्पीय होंगे।
- गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन होगा। गलत उत्तरों के लिए आवंटित अंकों का एक तिहाई। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 नकारात्मक अंक होंगे।
- पेपर सेटर को एक समान और तीव्र मूल्यांकन के लिए मॉडल उत्तर प्रदान करना चाहिए।
- लिखित परीक्षा समाप्त होते ही उत्तर पुस्तिकाओं को कोडित किया जाना चाहिए।
- केवल डमी संख्या/कोड वाली उत्तर पुस्तिकाओं और बिना किसी स्पष्ट पहचान चिह्न (जैसे 'जय', 'ओम' आदि) वाली उत्तर पुस्तिकाओं का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अमिट स्याही से किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में लेड पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए अंकों को शीर्ष शीट पर सारणीबद्ध किया जाना चाहिए।
- मूल्यांकन में दो महीने से अधिक की देरी पर कार्रवाई की जानी चाहिए डीआरएम या विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाना चाहिए। तीन महीने से अधिक की देरी महाप्रबंधक के व्यक्तिगत संज्ञान में लाई जानी चाहिए।
- कोड संख्या और प्राप्त अंकों को दर्शाते हुए हस्ताक्षरित अंक पत्र कार्मिक शाखा को दिया जाना चाहिए।
- मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं मॉडल उत्तर सहित कार्मिक विभाग को सौंपी जानी चाहिए।
- लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाना चाहिए तथा व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए
- सेवा के रिकॉर्ड आदि के लिए दिए जाने वाले अंक विवरण पर आधारित होने चाहिए। एसीआर ग्रेडिंग, पुरस्कार आदि की विधिवत गणना की जानी चाहिए तथा इस तरह का विवरण चयन कार्यवाही का हिस्सा होना चाहिए।

- As per RBE-96/18 the question paper in all promotional exams will henceforth be 100% objective type. Further, all the questions will be of multiple choice only.
- There shall be negative marking for incorrect answers. One third of the marks alloted for wrong answers. 1/3 negative marks will be for each wrong answer.
- Paper setter should be provided model answers for uniform and faster evaluation
- Answer sheets should be coded as soon as written test is over.
- The answer sheets with dummy numbers/codes and those without any visible identification signs (like 'jail, 'om' etc) only should be evaluated.
- Evaluation of answer sheets should be done in indelible ink and in no case should a lead pencil be used.
- Marks awarded by the evaluator for each question should be tabulated on the top sheet.
- Action should be taken in delay for more than 2 months in evaluation. Delay in evaluation by more than two months should be brought to the notice of DRM or HOD. Delay of more than three months should be brought to the personal notice of the General Manager.
- Marks sheet duly signed with indicating code nos. and marks obtained should be given to the personnel branch.
- Evaluated answer sheets along with model answer should be handed over to Personnel department.
- Result of written examination should be declared and widely circulated.
- Marks awarded for records of service ete should be based on details of ACR grading, awards etc duly worked out and such detail should be part of selection proceedings.

- सुनिश्चित करें कि तैयार किए गए मूल्यांकन चार्ट पर चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों।

**क्या न करें:–**

- ✤ यदि किसी अधिकारी का नाम सहमत/गुप्त सूची में है तो उसे चयन बोर्ड/समितियों में नामांकित न करें।
- ✤ चयन बोर्ड/समिति के गठन में तब तक परिवर्तन न करें जब तक कि अपरिहार्य न हो।
- ✤ अधिसूचना जारी होने के बाद रिक्तियों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
- ✤ चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, विशेषकर लिखित परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा और परिणाम के प्रकाशन के बीच विलम्ब न होने दें।
- ✤ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी अन्य व्यक्ति से अनाधिकृत रूप से न करवाएं।
- ✤ अंक आवंटित करने के लिए लेड पेंसिल का उपयोग न करें।
- ✤ एक बार दिए गए अंकों में सुधार करने के लिए उन्हें मिटाना, काटना, ओवरराइटिंग आदि का प्रयोग न करें।
- ✤ मूल्यांकनकर्ता को उनके मूल्यांकन की समीक्षा करने और अधिक उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से उत्तीर्ण अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए अंक देने की अनुमति नहीं है। अंकन केवल विषय–वस्तु और उत्तरों की शुद्धता के अनुसार होना चाहिए।
- ✤ उत्तर देने के लिए आवश्यक प्रश्नों की संख्या से अधिक हल किए गए प्रश्नों के लिए अंक न दें।
- ✤ चयन प्रक्रिया में अपने हस्ताक्षर पर तारीख अंकित करना न भूलें।

*

- Ensure that the evaluation chart prepared is signed by all the members of the selection committee.

**Don'ts**

- Do not nominate an officer in the Selection Board/ Committees, if his name is borne on the agreed/secret list.
- Do not change the constitution of the Selection Board/ Committee for a Selection except when unavoidable.
- Vacancies should not be altered once the notification is issued.
- Do not allow delays between various stages of Selection process, particularly between Written Test, evaluation of answer sheets, viva Voce and publication of result.
- Do not have the evaluation of Answer Sheets done by someone else unofficially.
- Do not use a lead pencil for allotting marks.
- Don't do corrections in marks once given by erasing, cutting, over- writing etc.
- Evaluator is not permitted to review their evaluation and to award marks keeping in mind the percentage of pass marks with a view to bring more candidates into zone of viva-voce. Marking should be strictly done as per content and correctness of answers only.
- No marks should be given to the answers attempted more than required.
- Do not forget to date your signature in the selection proceedings.

*

## क्या करें और क्या न करें

# आईएमएमएस/यूडीएम के माध्यम से स्टॉक/ गैर-स्टॉक सामग्री का वारंटी दावा दर्ज करना

✍ **संजय कुमार** मुख्य सतर्कता निरीक्षक (भंडार)/पूमरे

**क्या करें:–**

- यदि वारंटी अवधि के दौरान कोई भी वस्तु, विवरण और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती है या खराब हो जाती है, तो प्राप्तकर्ता (क्रेता) को उन वस्तुओं या उनके उन हिस्सों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जो उक्त विवरण और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं।
- स्टॉक/गैर–स्टॉक सामग्री के लिए वारंटी दावा, जो प्राप्त सामग्री की वारंटी अवधि के दौरान विवरण और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं या खराब हो जाती हैं, उसे बिना देरी के IMMS/UDM पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि गलत मात्रा/मूल्य के लिए दावा जारी किया गया है या किसी अन्य विक्रेता पर गलती से जारी किया गया है, या किसी कारणवश वारंटी स्वीकार्य नहीं है, तो वारंटी अस्वीकृति दावा वापस ले लिया जाएगा और वारंटी अस्वीकृति सलाह (दावा) वापस लेने का पत्र उस कार्यालय के न्यूनतम JAG अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, जिसने वारंटी अस्वीकृति सलाह जारी की है।
- विशिष्ट वारंटी दावे के विरुद्ध आपूर्ति की गई वस्तु/उपकरण का उपयोग केवल उसी वारंटी दावे को बंद करने के लिए किया जाना चाहिए। सामग्री के किसी भी वैकल्पिक उपयोग को केवल फर्म की लिखित सहमति के साथ किया जा सकता है।

## Do's and Don'ts

# To Lodge Warranty claim of Stock/Non-stock materials through IMMS/UDM

✍ **Sanjay Kumar**, CVI (Store)/ECR

**DO'S:**

- If during the warranty period, any goods be found not to conform to the description and quality or have deteriorated, the Consignee (purchaser) will be entitled to reject the said goods or such portions thereof as may be found not to conform to the said description and quality.
- Claim of warranty of stock/non-stock materials that have been found of not confirming description and quality or have deteriorated during the warranty period of received materials should be lodged through IMMS/UDM portal without fail.
- In case claim issued for incorrect quantity/ value or issued on some other vendor incorrectly or when warranty is not admissible due to any reason, warranty rejection claim shall be withdrawn and warranty rejection advice (claim) withdrawal letter by minimum JAG officer of the office issuing warranty rejection advice, shall be issued for withdrawal of warranty claim.
- Item/equipment supplied against a particular warranty claim should be used to close that warranty claim only. Any alternate use of the material can be done only with the written consent of the firm.

- प्रतिस्थापित/संशोधित सामग्री के लिए वारंटी उस प्रतिस्थापित /संशोधित वस्तु के लिए होगी जब तक कि मूल वारंटी अवधि समाप्त न हो जाए और वारंटी अस्वीकृति सलाह से सामग्री प्रतिस्थापन/ संशोधन तक का समय भी शामिल होगा।
- विक्रेता को 'निःशुल्क' 60 दिनों के भीतर वारंटी अस्वीकृति सलाह की तारीख से अस्वीकृत सामग्री उठाने की अनुमति दी जाएगी। इस अवधि के बाद, ग्राउंड रेंट लागू होगा।
- जिन मामलों में फर्म IRS अनुबंध की शर्तों के पैरा 3203 में उल्लेखित समय सीमा, यानी राजपत्रित अधिकारी द्वारा वारंटी अस्वीकृति सलाह जारी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर वारंटी अस्वीकृत सामग्री नहीं उठाती है, उस अवधि के समाप्त होने पर, खरीदार के खिलाफ किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा, और खरीदार उस सामग्री को अपने विवेक से निपटा सकता है।
- यदि फर्म द्वारा वारंटी अस्वीकृति सलाह का निपटान/ समापन/समाधान 60 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो IR के किसी भी बिल भुगतान प्राधिकरण द्वारा 'केंद्रीकृत वसूली रजिस्टर' में उल्लेखित राशि को फर्म के बिल/बिलों से वसूल किया जाएगा, यदि कोई हो।
- भुगतान प्राधिकरणों को वसूली में देरी नहीं करनी चाहिए और शीघ्रता से वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए। यहां तक कि यदि किसी बिल के खिलाफ देय राशि वारंटी दावे के विरुद्ध पूरी वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो भुगतान प्राधिकरण उस बिल के विरुद्ध देय राशि की आंशिक वसूली के साथ आगे बढ़ेगा, और शेष वसूली राशि 'केंद्रीकृत वसूली रजिस्टर' में बनी रहेगी ताकि अन्य बिल/बिलों से आगे की वसूली हो सके।

- Replaced/rectified material shall have warranty for the replaced/rectified goods till the original warranty period plus the time from the warranty rejection advice to material replacement/rectification.
- Vendor would be permitted to lift the rejected material "free of cost" within 60 days from the date of warranty rejection advice, after this time , ground rent shall be applicable.
- In cases where firm fails to lift the warranty rejected materials within the time period mentioned in Para 3203 of IRS Condition of Contract i.e 3 months from the date of issue of warranty rejection advice by the gazetted officer, at the expiry of the period, no claim whatsoever shall lie against the purchaser in respect of the said goods, which may be disposed of by the Purchaser in such manner as he thinks fit.
- In case disposal/closure/settlement of the warranty rejection advice is not done by firm within the period of 60 days. Any bill paying authority across IR shall recover the amount mentioned in "centralized Recovery Register" from firm's Bill/bills, if any.
- Paying Authorities should not delay the recovery and ensure recovery expeditiously. Even if the payable amount against a Bill are not enough for the full recovery against a warranty claim, the paying authority should proceed with partial recovery to the extent of payable amount against that bill and balance recovery amount will remain in the Centralized Recovery Register" for further recoveries from other bill/bills.

- यदि वारंटी 60 दिनों की अवधि के अंत में बंद/समाप्त/निपटाई जाती है, तो प्रयास किया जाना चाहिए कि 60 दिनों की अवधि के भीतर R–नोट/CRN जारी किया जाए ताकि कोई वसूली न हो।
- एक बार जब खाते द्वारा वसूली कर ली गई है या विक्रेता द्वारा वसूली राशि जमा कर दी गई है, तो वारंटी अस्वीकृत मात्रा के प्रतिस्थापन/संशोधन/पुनः निरीक्षण की अनुमति वारंटी अस्वीकृति सलाह जारी होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के बाद नहीं दी जाएगी।

**क्या न करें:–**

- ✤ अस्वीकृत सामग्री का प्रतिस्थापन उसी निरीक्षण खंड के नियमों और शर्तों पर स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा कि क्रय आदेश में निर्धारित किया गया है, अर्थात् यदि प्रारंभिक चरण में सामग्री का निरीक्षण तीसरी पार्टी एजेंसी द्वारा किया गया था, तो प्रतिस्थापन आपूर्ति को उसी तीसरी पार्टी एजेंसी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सामग्री को प्राप्तकर्ता निरीक्षण के आधार पर स्वीकार न करें।
- ✤ वारंटी अवधि के भीतर अस्वीकृत सामग्री को फर्म को सौंपने से पहले, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अस्वीकृत सामग्री के मूल्य का जमा करना आवश्यक है।
- ✤ प्रतिस्थापन आपूर्ति के लिए CRN/R–नोट को वारंटी अस्वीकृति सलाह जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर तैयार किया जाना चाहिए, यदि सामग्री 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिस्थापित की जाती है।

*

- If warranty is closed/disposed/settled at the fag end of 60 days period, efforts should be made to issue R-Note/CRN within 60 days period only so that no recovery is done.
- Once recovery has been made by accounts or the recovery amount has been deposited by vendor, replacement/rectification/reinspection of the warranty rejected quantity should not be allowed after period of 60 days from date of issue of warranty rejection advice.

**Don'ts**

- Replacement of rejected materials should be accepted on same and terms and condition of inspection clause as stipulated in Purchase Order i.e if at the initial stage materials have been inspected by third party agency, the replacement supply must be accepted on the third party agency, don't accept materials on the basis of consignee inspection in such cases.
- Before handing over of the materials rejected within warranty period to the firms should be handed over after deposition of value of rejected materials by the suppliers.
- CRN/R-note against for replacement supply should be generated within 60 days of issue of warranty rejection advice, if materials replaced within 60 days period.

*

## केस अध्ययन

# यातायात

**प्रभाकर सिंह,** मुसतानि/यातायात **कुमार निरज,** मुसतानि/यातायात
**अमर कुमार,** मुसतानि/यातायात **भारत भूषण,** मुसतानि/यातायात
**मनोज कुमार,** मुसतानि/यातायात **राकेश कुमार झा,** मुसतानि/यातायात
**कुमार हिमांशु,** मुसतानि/यातायात

**1.** रेलवे बोर्ड की सलाह पर इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे–ब्रिज पर एक निवारक जाँच की गई। कोयले की एक रेक का दोबारा वजन किया गया, जिसे पहले वजन बिंदु पर प्रेषक द्वारा वजन समायोजित किया जा चुका था उसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं :–

- ❖ 21 वैगनों में ओवरलोडिंग पाई गई जिन्हें पहले समायोजित दिखाया गया था।
- ❖ इस प्रकार 24.2 टन कोयले का शुल्क सामान्य माल ढुलाई दर से 3 गुणा जुर्माना राशि वसूल किया गया।
- ❖ 175.4 टन कोयले का शुल्क सामान्य माल ढुलाई दर से 4 गुणा जुर्माना राशि वसूल किया गया।
- ❖ रुपया 40,06,545/–(चालीस लाख छह हजार पाँच सौ पैंतालीस रुपए मात्र) की राशि इस खाते पर दंडात्मक माल भाड़ा शुल्क के रूप में वसूल किया गया।
- ❖ अब तक कुल 145 लोड समायोजित कोयला रेकों का दोबारा वजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप या 31.8 करोड़ जुर्माना राशि वसूल की गई।
- ❖ रेलवे बोर्ड विजिलेंस को एक प्रणाली सुधार का सुझाव दिया गया है, इसे रेलवे बोर्ड के टी एंड सी निदेशालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है।

**2. सूत्र द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक स्टोन रेक का दोबारा वजन किया गया जिसे पहले वजन बिंदु पर प्रेषक द्वारा समायोजित किया गया था उसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं** :–

- ❖ 06 वैगनों में ओवरलोडिंग पाई गई जिन्हें पहले समायोजित दिखाया गया था।
- ❖ पुनः वजन के दौरान 30 वैगनों में ओवरलोडिंग पाई गई।

## Case Study

### TRAFFIC

**Prabhakar Singh,** CVI/T
**Amar Kumar,** CVI/T
**Manoj Kumar,** CVI/T
**Kumar Himanshu,** CVI/T
**Kumar Niraj,** CVI/T
**Bharat Bhushan,** CVI/T
**Rakesh Kumar Jha,** CVI/T

**1. On the advice of Railway Board a preventive check was conducted at Electronic In Motion Weighbridge. A coal rake was reweighed which was adjusted earlier by consignor at 1st weighment point and following irregularities found:-**

- Overloading found in 21 wagons which were shown adjusted earlier.
- Thus, 24.2 Tonnes of coal was charged @ 3 times of the normal freight rate
- 175.4 Tonnes of coal was charged @ 4 times of the normal freight rate.
- A sum of Rs. 40,06,545/- Forty Lakh Six Thousand Five Hundred and Forty Five only) was realised as punitive freight charges on this account.
- Till date a total 145 nos of load adjusted coal rakes have been reweighed. As a result of which a sum of Rs. 31.8 Crore has been realized.
- One System Improvement has been suggested to Railway Board Vigilance which has been taken up by T & C Directorate of Railway Board.

**2. On source information a Stone rake was reweighed which was adjusted earlier by consignee at 1st weighment point and following irregularities found:-**

- Overloading found in 06 wagons which were shown adjusted earlier.
- During reweighment overloading found in 30 wagons.

- ❖ इस प्रकार 916.66 टन अतिरिक्त वजन पाया गया।
- ❖ रुपया 41,17,772/– (इकतालीस लाख सत्रह हजार सात सौ बहत्तर रुपए मात्र) की राशि इस खाते पर दंडात्मक माल ढुलाइ शुल्क के रूप में वसूली की गई।

**3. सीआईटी कार्यालय में "ईएफटी कैश सबमिशन" में पाई गई अनियमितताएँः–**

सीआईटी कार्यालय में सतर्कता टीम द्वारा की गई निवारक जाँच के दौरान ईएफटी नकद जमा में भारी अनियमितताएँ पाई गईं, जो निम्न है –

एक टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा की गई नकदी जमा के एम.आर. (धन प्राप्ति) एवं ईएफटी की जाँच करने पर पता चला कि वास्तविक सरकारी धन की वसूली और रेलवे खाते में एम.आर. के माध्यम से जमा की गई रकम पूरी तरह से बेमेल था। चेकिंग स्टाफ ईएफटी द्वारा प्राप्त नकदी की तुलना में एम.आर. के माध्यम से रेलवे खातें में कम नकदी जमा करने का आदी था। चेकिंग स्टाफ द्वारा अपनाया गया क्रियाकलाप इस प्रकार है –

| क्र0 सं0 | ईएफटी जारी करने से प्राप्त रकम (रु. में) | बुकिंग कार्यालय में जमा की गई रकम (रु. में) | विसंगतियाँ |
|---|---|---|---|
| 1. | 35,685 | 30,685 | रु. 5,000/– कम जमा किया गया |
| 2. | 15,235 | 11,235 | रु. 4,000/– कम जमा किया गया |
| 3. | 6,340 | 5,340 | रु.1,000/– कम जमा किया गया |

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि केवल एक अंक को हटाकर राशि में बदलाव किया जा रहा था ताकि किसी भी जाँच संस्था के संज्ञान से बचा जा सके। संबंधित टिकट चेकिंग स्टाफ ने प्रशासन को यह बताकर गुमराह करने की कोशिश की कि गलत गणना के कारण रकम कम जमा किया गया। केवल छः महीने की अवधि के दौरान यह देखा गया कि चेकिंग स्टाफ ने ईएफटी द्वारा अर्जित वास्तविक सरकारी धन से 1,24,000/– रुपए कम जमा किया।

यहाँ तक कि, यातायात निरीक्षक लेखा और यातायात लेखा कार्यालय भी सरकारी धन के कम प्रेषण के संबंध मे इस अनियमितता का पता लगाने में विफल रहे, जो नियमित रूप से रेलवे राजस्व में कमी का कारण बन रही थी।

- Thus, 916.66 Tonnes of excess load detected.
- A sum of Rs. 41,17,772/- (Forty One Lakh Seventeen Thousand Seven Hundred and Seventy Two only) was realised as punitive freight charges on this account.

**3. Irregularities detected at CIT Office in "EFT Cash Submission:-**

During preventive check conducted by vigilance team in CIT office, major irregularities detected in EFT cash submission as under:-

On scrutiny of EFTs, and MRs against which cash was deposited by one of the checking staff, it revealed that there was a complete mismatch between the actual government cash realized and its deposition in Railway Account through MRs (Money Receipt). The checking staff was habituated of depositing less cash in the railway account through MRs than the actual cash realised by issuing EFTs. Modus operandi adopted by the ticket checking staff is as under:

| Sl. No. | Total Amount EFT's issued | Amount remitted of in booking office | Discrepancy |
|---|---|---|---|
| 1. | Rs.35685/- | Rs.30685/- | Rs. 5000/- less remitted |
| 2. | Rs.15235/- | Rs.11235/- | Rs. 4000/- less remitted |
| 3. | Rs.6340/- | Rs.5340/- | Rs. 1000/- less remitted |

It can be seen from above that amount was being changed by replacing one digit only in the figure so that it may be overlooked by any checking agency. The concerned ticket checking staff tried to misguide the administration that on account of miscalculation the amount were remitted short. During a period of mere six months it was observed that the checking staff had remitted short amount to the tune of Rs. 1,24,000/- than the actual government cash earned through issuing of EFTs.

Even, TIA and Account office also failed to detect this irregularities regarding short remittance of govt. cash which was causing leakage of Railway Revenue on regular basis.

इस संबंध में सतर्कता संगठन द्वारा यातायात लेखा विभाग और पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों को भी संबंधित बिंदुओं पर इसी तरह की जाँच करने को कहा गया है।

संबंधित टिकट चेकिंग स्टाफ को डीएआर के तहत दीर्घ दण्ड की अनुशंसा की गयी है।

**4. सूत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आरक्षण कार्यालय में एक निवारक जाँच की गई –**

सूत्र के आधार पर श्यनयान तत्काल के समय 11:00 बजे आरक्षण कार्यालय में एक निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि ड्यूटी पर मौजूद आरक्षण क्लर्क के पास पहले से भरी हुई एक माँग पर्ची थी, हालाँकि आरक्षण काउंटर के सामने कोई भी कतार में खड़ा नहीं था। आगे की जाँच के दौरान ऑन ड्यूटी आरक्षण क्लर्क के सरकारी धन में रुपया 1,470/– की अधिकता पाई गई।

ऑन ड्यूटी आरक्षण क्लर्क को डीएआर कार्यवाही के तहत दीर्घ दण्ड देने की अनुशंसा की गई है।

**5. लीज एसएलआर की ओवरलोडिंग –**

- ❖ सूत्रों द्वारा लीज एसएलआर में ओवरलोडिंग होने की सूचना पर एक निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान लीज पर दिए गए एफएसएलआर के पार्सल पैकजों को अनलोडिंग स्टेशन पर तुलाई की गई।
- ❖ लीज एसएलआर की क्षमता : 3900 किलोग्राम
- ❖ मेनिफेस्ट में उल्लेखित पैकेजों की संख्या : 480
- ❖ मिले पैकेजों की संख्या : 375
- ❖ वास्तविक वजन (पाया गया) : 7545 किलोग्राम
- ❖ अधिक वजन (पाया गया) : 3645 किलोग्राम
- ❖ अंडरचार्ज के रूप में रुपया 90,499 (नब्बे हजार चार सौ निन्यानवे रुपए मात्र) की राशि वसूल की गई।

Further, Vigilance organization advised traffic accounts department and all Divisions of ECR to conduct similar checks at their respective points.

Concerned TTE was taken up under DAR for Major Penalty.

**4. On source information a preventive check was conducted in PRS Office.**

On source information, a preventive check was conducted in PRS during Sleeper Tatkal at 11:00 hrs. During check it was found that on duty ECRC was in possession of one pre filled requisition slip although no one was standing in queue in front of reservation counter. During further check a sum of Rs. 1470/- excess found in the physically produced Government cash of the on duty reservation clerk. On duty reservation clerk was taken up under DAR proceedings and given Major penalty.

**5. Overloading of Leased SLR.**

Based on source information of overloading in leased compartment (SLR) of a Train, preventive check was conducted. During the check parcel packages of FSLR on lease was weighed at unloading station.

- Capacity of the leased SLR : 3900 Kg
- Nos. of packages mentioned in the Manifest : 480
- Nos. of packages Found : 375
- Actual Weight found : 7545 Kg
- Excess weight found : 3645 Kg
- A sum of Rs. 90,499/- (Ninety thousands four hundred ninety nine only) was raised and realized as undercharge.

- ❖ संबंधित रेलवे को लीज समझौते के अनुसार पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके स्तर पर लीज एसएलआर में लोडिंग की आगे की निगरानी करने की सलाह दी गई।
- ❖ लीज एसएलआर में ओवरलोडिंग में पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।
- ❖ संबंधित रेलवे को सूचित किया गया है कि वे अपने स्तर पर सभी लीड पार्सल का कम से कम 20 % एसएलआर/वीपी का वजन करना नियमानुसार सुनिश्चित करें।

## 6 ऑन डिमांड पार्सल वैन में ओवरलोडिंग।

- ❖ सूत्रों द्वारा लीज पार्सल यान में ओवरलोडिंग होने की सूचना मिलने पर ऑन डिमांड पार्सल वैन में ओवरलोडिंग को सत्यापित करने के लिए एक निवारक जाँच की गई।
- ❖ लीज वीपी की क्षमता : 24,000 किग्रा0
- ❖ लीज(मैनिफेस्ट अनुसार) वीपी का वजन : 23,810 किग्रा0
- ❖ वास्तविक वजन पाया गया : 27,800 किग्रा0
- ❖ अतिरिक्त वजन पाया गया : 3,800 किग्रा0
- ❖ रुपया 1,95,257/– (एक लाख पंचानबे हजार दो सौ सत्तावन रुपए मात्र) की राशि दंड स्वरूप वसूल की गई।

## 7. पीआरएस जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताएँ:–

सूत्रों के आधार पर काउंटर खुलने के समय (08:00 बजे) यात्री आरक्षण काउंटर पर एक निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ नोटिस की गई –

- ❖ जाँच के दौरान, यह पाया गया कि काउंटर पर कार्यरत आरक्षण लिपिक के बजाय एसटीबीए द्वारा लॉग–इन किया गया था।
- ❖ एसटीबीए के स्पष्टीकरण के दौरान यह पाया गया कि समय पर लॉग–इन (08:00 बजे) के लिए एसटीबीए को अपनी लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्रदान करके काउंटर पर आरक्षण लिपिक के उपस्थिति के बिना लॉग–इन किया गया था।

- The concerned Railway has been advised for action against the party as per lease agreement and further monitoring of loading in leased SLRs at their end.
- A proposal to Railway Board regarding stringent action for overloading in leased SLR has been sent.
- The concerned Railway has been advised to ensure weighment of at least 20 % of total leased parcel loaded in SLRs/VPs at their end in terms of extent policy.

**6. Overloading in the on demand parcel Van.**

On source information a preventive check was conducted to verify the overloading in the on demand parcel Van.

- Capacity of the leased VP : 24,000 Kg
- Weight of the leased VP (as per manifest) : 23,810 Kg
- Actual Weight found : 27,800 Kg
- Excess weight found : 3,800 Kg
- A sum of Rs. 1,95,257/- (One lakh five thousands two hundred fifty seven only) was raised and realized as punitive charge.

**7. Irregularities noticed during PRS check:-**

On a source information a preventive check was conducted at a PRS counter at the time of opening the counter (08:00 hrs). Following irregularities were noticed during check.

- During check, it was found that the counter was log-in by STBA instead of on duty ECRC.
- During clarification of the STBA, it was noticed that the counter was logged-in without presence of the on duty ECRC by providing his log-in ID and password to the STBA for timely log-in (08:00 hrs)

- ❖ उपरोक्त अनियमितता को दूर करने के लिए पूरे भारतीय रेलवे में यात्री आरक्षण काउंटरों के लिए साईन ऑन/साईन ऑफ को बायोमेट्रिक/चेहरा पहचान के द्वारा करने की सिफारिश की गई है।

**8. ट्रेन में एक निवारक जाँच की गई, सतर्कता जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं –**

- ❖ टिकट चेकिंग स्टाफ के प्रॉक्सी "साईन ऑन" और "साईन ऑफ" किए जाने में अन्य टिकट चेकिंग स्टाफ को लिप्त पाया गया।
- ❖ ट्रेन में निवारक जाँच के दौरान, यह देखा गया कि टिकट चेकिंग स्टाफ अपने निर्धारित ड्यूटी के अनुसार ट्रेन में नहीं पाए गए। या तो वे रास्ते में मध्यवर्ती स्टेशन पर उपस्थित होते थे या ड्यूटी से अनुपस्थित रहते थे।

  इस अनियमितता पर नियंत्रण के लिए, रेलवे बोर्ड को बायो–मेट्रिक/चेहरा पहचान तकनीक को लागू करके टीटीई के मौजूदा सीआरआईएस (CRIS) आधारित सॉफ्टवेयर "साईन ऑन"/"साईन ऑफ" में अतिरिक्त सुविधा को लागू/शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

## 9. "साईन आफ" के दौरान अपनाई गई अनैतिक आचरणः–

सूत्रों के आधार पर "साईन ऑफ" के दौरान टीटीई लॉबी में एक सतर्कता निवारक जाँच की गई, जिसमें टिकट चेकिंग स्टाफ की व्यक्तिगत नकदी और सरकारी नकदी की जाँच की गई जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं :–

- ❖ जाँच के दौरान यह पाया गया कि 05 टिकट चेकिंग स्टाफ में से केवल 04 चेकिंग स्टाफ "साईन ऑफ" के लिए उपस्थित हुए। इससे पता चलता है कि चेकिंग स्टाफ में से एक की उपस्थिति या तो प्रॉक्सी "साईन ऑन" द्वारा की गई थी या वह रास्ते में ही उतर गये थे।
- ❖ चार में से दो टिकट चेकिंग स्टाफ ने सतर्कता जाँच में सहयोग नहीं किया और जाँच स्थल से भाग गए।
- ❖ उनमें से एक चेकिंग स्टाफ के पास से सरकारी धन में 325/– रुपये की अधिकता पाई गई।

- To eradicate the above irregularity, Bio-Metric/face recognisation at Sign On/Sign Off is recommended for PRS counters all over the Indian Railways.

**8. A preventive check conducted in train:-**

Following irregularities were detected during the vigilance check –

- Ticket Checking Staff were found indulged in proxy "Sign On" and "Sign Off" for other Ticket Checking Staff.
- During preventive check in Train, it was noticed that booked Ticket Checking Staff were not manning the Train as per schedule. They were either boarding en-route at intermediate station or not manning at all.

  For control, over this menace, it was suggested to Railway Board to implement/inclusion of additional feature in existing CRIS based software of TTEs "Sign On"/"Sign Off" by implementing Bio-metric/face recognition technology.

**9. Unethical practice during "Sign Off":-**

On source information a preventive check was conducted at a TTE lobby during "Sign Off", wherein personal cash and government cash of ticket checking staff were checked and following irregularities were detected during the vigilance check –

- During check, it was found that out of 05 ticket checking staff only 04 checking staff turned up for "Sing Off". This suggests that attendance of one of the checking staff was done either by proxy "Sign On" or detrained en-route.
- Out of four, two ticket checking staff not co-operated in the Vigilance check and fled away from the spot.
- A sum of Rs. 325/- found excess in Govt. cash with one of the checking staff.

- ❖ ट्रेन कंडक्टर ने अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों की सूचना सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाने में विफल रहे।
- ❖ सभी संबंधित टिकट चेकिंग स्टाफ को अनुशासन व अपील नियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

**10. 'पे एण्ड यूज' शौचालयों में पायी गई अनियमितताएं:–**

सूत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक स्टेशन पर उपलब्ध 'पे एण्ड यूज' शौचालय में एक निवारक जॉच की गई जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :–

- ❖ जॉच के दौरान पाया गया कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान समय पर नहीं किया गया था।
- ❖ उपयोगकर्ताओं को मुद्रित रसीद प्रदान नहीं की जा रही थी।
- ❖ अनुभागीय वाणिज्य निरीक्षक के द्वारा न तो ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई न ही कमियों को सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया।
- ❖ संबंधित क्लर्क भी नोट या अन्य माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बकाया के संबंध में संज्ञान मे लाने में विफल रहे।
- ❖ अनुभागीय वाणिज्य निरीक्षक और संबंधित क्लर्क दोनों के द्वारा हुई चूक के लिए उन्हें अनुशासन व अपील नियम के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

**11. माल गोदाम में पाई गई अनियमितताएँ।**

सूत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर माल गोदाम में निवारक जॉच की गई, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :–

- ❖ जॉच के दौरान पाया गया कि माल गोदाम बाबू, माल हटाने के लिए समय छूट सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी वार्फ पर पड़े माल पर स्थान शुल्क लगाने में विफल रहा।
- ❖ माल गोदाम के कर्मचारियों ने स्थान शुल्क रजिस्टर में वास्तविक वार्फ की स्थिति भी नहीं दिखाई थी।
- ❖ माल गोदाम के कर्मचारियों ने टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली में नियत समय के भीतर माल हट गया दिखाया था।
- ❖ रुपए 96,731/– स्थान शुल्क के रूप में वसूल की गई।
- ❖ कर्मचारियों की ओर से की गई चूक के लिए अनुशासन व अपील नियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

*

- TS of the train failed to bring into the notice of competent authority regarding absence of staff from duty.
- All concerned ticket checking staff were taken up under D&AR.

**10. Irregularities in Pay & Use Toilets:-**

On a source information a preventive check was conducted at "Pay and Use" Toilet at station. Following irregularities were noticed –

- During check it was found that license fee was not paid on time.
- Printed receipt was not being provided to users.
- Sectional DCI failed to take any action against the contractor and bring out the deficiencies to the notice of competent authority.
- Dealing clerk also failed to highlight the arrear of licence fee through note or otherwise.
- For the lapses on their part sectional DCI and Dealing Clerk both were taken up under D&AR.

**11. Irregularities detected in Goods Shed.**

On source information a preventive check was conducted at Goods Shed, following irregularities were noticed –

- During check it was found that Goods shed clerk failed to impose wharfage on the consignment lying on the wharf well after expiry of free time for removal.
- Goods shed staff had not shown the actual wharf position in the wharf register.
- Goods shed staff had shown removal of consignment within free time in terminal management system.
- A sum of Rs. 96,731/- was realized on account of wharfage.
- For the lapses on his part concerned employee has been taken up under D&AR.

*

## केस अध्ययन

# लेखा एवं कार्मिक

### 1. स्टेशन मास्टर कैटेगरी का वरीयता निर्धारण

✍ **श्री कामेश्वर पाण्डेय, मुसतानि/कार्मिक**

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी के वरीयता निर्धारण के संबंध में एक परिवाद के अनुसंधान के दौरान संबंधित मंडल कार्यालय में समय–समय पर जारी की गई सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूचियों की जॉच की गई। जॉचोपरान्त यह पाया गया कि, *सहायक* स्टेशन *मास्टर कैटेगरी की वरीयता को उक्त संभाग में उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जा रही थी जबकि उक्त कैटेगरी की वरीयता को उनकी पदस्थापना तिथि से पहले की प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में किया जाना था।*

मंडल में यह प्रचलन विगत कई वर्षों से निरन्तर जारी है। किन्तु, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या **ई;(एनजी) आई**–89/एसआर6/35 दिनांक **23.08.1991** के पैरा (**ए**) में स्पष्ट रूप से निम्न निर्देश जारी किये गये हैं:–

***जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है उन्हें कामकाजी पद पर तैनात होने से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता में रैंक दिया जाएगा।'***

इस प्रकार, मंडल द्वारा अपनाई जा रही स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता निर्धारण संबंधी उक्त प्रचलन रेलवे बोर्ड के उपरोक्त निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार, वरीयता निर्धारण का मंडल द्वारा अपनाया गया यह प्रचलन नियमानुकूल नहीं है। इस प्रचलन के कारण वरीयता श्रेणी में कई वरीय सहायक स्टेशन मास्टर वरीयता संबंधी अन्य लाभों से वंचित हो रहे हैं।

रेलवे बोर्ड के यथोक्त निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने एवं होनेवाली अनियमितता को रोकने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा पूर्व मध्य रेल के सभी रेलवे मंडलों को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।

*

सतर्कता जागरूकता अभियान
''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि''
रेलवे पार्किंग स्थल पर ध्यान देने योग्य बातें:-
RAILWAY STATION
● पार्किंग स्थल पर प्रदर्शित शुल्क से अधिक शुल्क का भुगतान कदापि न करें।
● गाड़ी को पार्किंग कर रसीद जिस पर क्रम संख्या, निर्धारित शुल्क, दिनांक एवं समय इत्यादि वर्णित हो, प्राप्त करना न भूलें।
रेलवे परिसर में अवस्थित Pay & Use शौचालय एवं स्नानघर के इस्तेमाल के दौरान ध्यान देने योग्य बातें:-
● Urinal पूर्णतः निःशुल्क सेवा है।
● प्रदर्शित शुल्क से अधिक शुल्क का भुगतान कदापि न करें।
● उपयोगकर्ता भुगतान की गई राशि का रसीद अवश्य प्राप्त करें।
उपरोक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत प्रकोष्ठ
139
सतर्कता संगठन

## केस अध्ययन

# लेखा एवं कार्मिक

✍ **श्री रितेश राज,** मुसतानि/लेखा

सतर्कता कार्यालय में एक परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें परिवादी द्वारा रेल सेवक को रेल में नौकरी दिलाने के नाम पर एक मोटी रकम देने का आरोप लगाया गया। सतर्कता कार्यालय द्वारा मामले की जॉच की गई और जाँच में पाया गया कि रेल सेवक द्वारा परिवादी से एक मोटी रकम लिया गया था, जिसके एवज में रेल सेवक द्वारा अपने बैंक खाते से साईन किया हुआ तीन ब्लैंक चेक (बिना रकम भरे) परिवादी को दिया गया। परिवादी द्वारा उस चेक पर रकम भरकर उसको भुनाने का प्रयास किया गया, किन्तु बैंक खाते में रकम पर्याप्त न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके उपरांत परिवादी द्वारा रेल सेवक के विरूद्ध नौकरी के नाम पर घूस (रकम) लेने और रकम मॉगने के फलस्वरूप गलत चेक दिये जाने का आरोप लगाया गया।

एक रेल सेवक के रूप में बिना प्रशासन को सूचना दिये लेन–देन (मोटी रकम) के मामले में रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 16 के अवहेलना हेतु रेल सेवक पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई ।

*

**'मद मनुष्य की वो स्थिति या दिशा है,**
**जिसमें वह अपने 'मूल कर्त्तव्यों' से**
**भटक कर 'विनाश' की ओर**
**चला जाता है।''**

– स्वामी दयानन्द सरस्वती

## Case Study

### ACCOUNTS & PERSONNEL

✍ **Sri Ritesh Raj,** CVI/A

A complaint was received in the vigilance department in which the Complainant alleged of paying a huge amount to the railway servant in the name of providing the railway job. The matter was investigated by the Vigilance office where it was found that a huge amount of money was taken by the Railway Servant from the Complainant, in lieu of which the Railway Servant gave three blank signed cheques (without mentioning the amount) from his bank account to the complainant. The Complainant tried to encash the cheque after writing amount on that check from the bank, but due to lack of money in the bank account, the cheque was bounced. Subsequently, the Complainant sent complaint against the railway servant that he had taken bribe (money) in the name of job and on demanding the money, he gave false cheque.

Due to transaction (large amount) of money without informing the administration, disciplinary action was recommended against the Railway Servant for violating the Rule 16 of Railway Service (Conduct) Rules, 1966.

*

" It is the Duty of all leading men,
whatever their persuasion or party,
to safeguard the Dignity of India."
**– Mahatma Gandhi**

## केस अध्ययन

# अभियंत्रण

**1. क्षेत्र इकाई द्वारा डी.एम.टी.आर. का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया :–**

✍ **आर.के. रमण,** मुसतानि/इंजी/हाजीपुर

निवारक जाँच के दौरान, डीएमटीआर रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि डीएमटीआर रजिस्टर के पहले पेज पर कुल पन्नों की संख्या दर्शाने वाला प्रमाण पत्र एसएसई/स्थायी पथ द्वारा हस्ताक्षरित/एसवी द्वारा देखी गई टिप्पणी है। एसआईएल 10/2019 के अनुसार, डीएमटीआर रजिस्टर के पहले पेज पर नियंत्रण इकाई के जूनियर स्केल अधिकारी का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें उपलब्ध कुल पन्नों की संख्या दर्शाई गई हो, लेकिन इस पर एडीईएन ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। डीएमटीआर रजिस्टर में तारीख, क्रमांक, मात्रा के साथ सामग्री का नाम, लेजर नंबर और उसका पृष्ठ नंबर, रसीद और जारी करने की जानकारी है। इसके अलावा डीएमटीआर में लेनदेन दर्ज करने वाले एसएसई/जेई/स्टोर क्लर्क को प्रत्येक दिन के अंत में तारीख के साथ प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उनके हस्ताक्षर/आद्याक्षर सीनियर अधीनस्थ के हस्ताक्षर/मोहर के नीचे हो।

महाप्रबंधक (सतर्कता)/पूमरे/हाजीपुर के पत्र संख्या–ईसीआर/विज़/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक–26.03.2019 और जेपीओ (एसआईएल 10/2019) के अनुसार, क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा स्टोर को सौंपने और उसके रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ''डीएमटीआर में लेनदेन दर्ज करने वाले एसएसई/जेई/स्टोर क्लर्क को प्रत्येक दिन के अंत में तारीख के साथ प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उनके हस्ताक्षर/प्रारंभिक वरिष्ठ अधीनस्थ के हस्ताक्षर/मोहर के नीचे हो सकते हैं''।

**2. प्राइवेट साइडिंग के निर्माण के लिए मिट्टी कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं:**

✍ **मनोज प्रभाकर,** मुसतानि/इंजी/हाजीपुर

रेल पथ के निर्माण के लिए मिट्टी भरने के काम से संबंधित एक शिकायत मामले में, यह पाया गया कि बॉरो पीट से लिए गए मिट्टी का पर्याप्त संख्या में एमडीडी परीक्षण और फॉर्मेशन लेयर का कम्पैक्शन आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं किया गया था। इसके अलावा, कार्यों और सामग्री

## Case Study

# ENGINEERING

**1. DMTR not maintain properly by field unit:-**

✍ **R.K. Raman,** CVI/Engg/HJP

During preventive check, in scrutiny of DMTR register, it was found that the first page of DMTR register certificate indicating the total number of pages initial by SSE/P.Way seen remark by SV. As per SIL 10/2019, the first page of DMTR register should contain a certificate from Jr. Scale officer of the controlling unit indicating the total no. of pages available but it was not initialled by ADEN. In DMTR register containing Date, Sr.No, Name of materials with quantity, Ledger No & its Page No., Receipt and Issue. Further the SSE/JE/Store clerk entering the transaction in the DMTR should initial the entries with date at the end of each day. His signature/initial may be under the signature/stamp of the Sr. Subordinate but the same is not signed / initial by SSE.

Vide GM(Vigilance)/ECR/HJP's letter no. ECR/VIG/System Improvement/50 dtd-26.03.2019& JPO (SIL 10/2019) for handing of stores and maintenance of records thereof by field units, where clearly mention that "the SSE/JE/Store clerk entering the transaction in the DMTR should initial the entries with date at the end of each day. His signature/Initial may be under the signature/stamp of the Sr. Subordinate".

**2. Irregularities in execution of earth work for construction of Private Siding: -**

✍ Manoj Prabhakar, CVI/Engg/HJP

In a complaint case regarding earth work in filling for construction of P. Way, it was found that adequate nos. of MDD test of soil from borrow pit and compaction of formation layer were not conducted as per RDSO specification. Further, in terms of para 1.2.2 of Unified Standard Specifications for Works & Material, approval of Engineer for the quality of earth carrying outside from the Railway Land should be obtained, but soil outside from the Railway land used for filling in embankment without approval of competent authority.

के लिए यूनिफाइड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के पैरा 1.2.2 के अनुसार, रेलवे भूमि से बाहर ले जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता के लिए इंजीनियर की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए, लेकिन एम्बैंकमेंट में भरने के लिए रेलवे भूमि से बाहर की मिट्टी का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया।

इसके अलावा एमबी की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एमबी में दर्ज मिट्टी के काम की टेस्ट चेक एडीईएन द्वारा महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)/हाजीपुर के पत्र संख्या डब्ल्यू–2/118/09/वर्क्स पॉलिसी/लूज दिनांक 30.11.2017 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं की गई थी। बिल की तकनीकी जाँच के दौरान जेई/ड्राइंग यह इंगित करने में भी विफल रहे कि एडीईएन द्वारा की गई जाँच अपर्याप्त है। पहली से पांचवी ऑन एकाउंट सी. सी. बिल से मिट्टी की रॉयल्टी नहीं काटी गई थी तथा बिल सक्षम अधिकारी द्वारा पास कर दिया गया।

उपर्युक्त अनियमितताओं के लिए एडीईएन, एसएसई/कार्य, जेई/ड्राइंग एवं कार्यालय अधीक्षक/बिल को जिम्मेदार माना गया तथा अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की गई।

3. **अनुबंध में स्टाफ क्वार्टर और सेवा भवनों के विघटन के लिए साइट सौंपने में अनियमितताएं और विघटन कार्य के बाद जारी सामग्री का उचित लेखा–जोखा।**

✍ **जितेन्द्र कुमार सिंह,** मुसतानि/इंजी/हाजीपुर

शिकायत मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि ''परित्यक्त स्टाफ क्वार्टरों और सेवा भवनों को ध्वस्त करने और खाली करने'' के कार्य के लिए एक अनुबंध दिया गया था। अनुबंध की निर्धारित शर्तों के अनुसार, सभी परित्यक्त संरचनाओं को संरचना के ध्वस्तीकरण और साइट से सामग्री बाहर निकालने से पहले संबंधित एसएसई (वर्क्स), आरपीएफ प्रतिनिधि और लेखा की उपस्थिति में पात्र निविदाकर्त्ता को सौंप दिया जाना था, लेकिन एसएसई/वर्क्स ने संरचना के ध्वस्तीकरण और साइट से सामग्री बाहर निकालने से पहले आरपीएफ प्रतिनिधि और लेखा की अनुपस्थिति में उपर्युक्त कार्य के लिए साइट को सौंपा था।

इसके अलावा, अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, सभी पाईप लाइनें और सर्विस टैंक, दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेटर एजेंसी द्वारा हटा दिए जाएंगे और संबंधित एसएसई/वर्क्स को सौंप दिए जाएंगे और लेजर बुक में उचित रूप से accountal किया जाएगा। लेकिन एसएसई/वर्क्स ने केवल स्टाफ क्वार्टर और सर्विस बिल्डिंग का सर्वेक्षण किया था और क्वार्टर

Further during scrutiny of MB, it was found that test check of earth work entered in MB was not done by ADEN as per guidelines issued vide GM/Engg/HJP's letter No. W-2/118/09/ Works Policy/Loose dated 30.11.2017. JE/Drg also failed to point out that test check done by the ADEN is inadequate during technical checking of bill. Royalty charge of earth was not deducted from 1st to 5th on A/C CC bill and bill was passed by competent authority.

For the above mentioned irregularities, ADEN, SSE/ Works, JE/Drg & OS/Bill were considered responsible and action taken up under DA rules.

3. **Irregularities in handing over of site for dismantling of staff quarter and service buildings in a contracts and proper accountal of release materials after dismantling work.**

✍ Jitendra Kumar Singh, CVI/Engg/HJP

During, investigation of a complaint case, it was found that a contract was awarded for the work of "Dismantling and vacation of abandoned Staff Quarters & Service buildings." As per the laid down condition of the contract, all abandoned structure were to be handed over to eligible tenderer in presence of concern SSE (Works), RPF representative & Accounts before dismantling of structure and taking out of material from site but SSE/works had not handed over the site for above mentioned work in the absence of RPF representative & Accounts before dismantling of structure and taking out of material from site.

Further, as per terms & conditions laid down in contract, all pipe lines and service tanks, doors, window and ventilators would be removed by the agency and would be handed over to the concerned SSE/Works and properly accounted in the ledger book. But SSE/Works had only done survey of staff quarter and service building and prepared list of quarter & service building and same was handed over to agency in absence of Account & RPF representative. Further, he had not done joint survey for actual quantity of pipe lines & service tank, doors window and ventilators in each abandoned quarter which were handed over

और सर्विस बिल्डिंग की सूची तैयार की थी और इसे लेखा और आरपीएफ प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में एजेंसी को सौंप दिया था। इसके अलावा, उन्होंने प्रत्येक परित्यक्त क्वार्टर में पाईप लाइनों और सर्विस टैंक, दरवाजे खिड़की और वेंटिलेटर की वास्तविक मात्रा के लिए संयुक्त सर्वेक्षण नहीं किया था कि उक्त क्वार्टरों में कितनी मात्रा में उपरोक्त सामग्री मौजूद हैं जिन्हें एजेंसी द्वारा सौंपा जाना था और लेजर में उचित accountal के लिए एसएसई/वर्क्स के स्टोर में वापस ले जाया जाना था। लेकिन जारी की गई पाईप लाइनें और सर्विस टैंक, दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेटर को स्टोर में वापस ले जाया गया, उन्हें डीएमटीआर और लेजर बुक में ठीक से पोस्ट नहीं किया गया था 1.5 इंच व्यास वाली पाईप– 37.16 मीटर की कमी, 1.0 इंच व्यास वाली पाईप– 13.32 मीटर की कमी, 1.5 इंच व्यास वाली पाईप– 10.65 मीटर की कमी। लेकिन भारतीय रेलवे कार्य मैनुअल के पैरा 116 (iv) के अनुसार "अनुभाग इंजीनियर भंडार के लेखापरीक्षण और आवधिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भारतीय रेलवे कार्य मैनुअल के पैरा 121 (बी) के अनुसार "अनुभाग इंजीनियर प्राप्त और जारी की गई सामग्री और उपकरणों का विस्तृत लेखा–जोखा रखने के लिए जिम्मेदार है।

इसके अलावा, न तो स्टील आइटम जैसे रेल, सभी रिलीज ईंटें और ईंटें, बल्लियाँ, मलबा जैसी रिलीज की गई सामग्री स्टॉक वेरिफायर (खाता) की मौजूदगी में एजेंसी को सौंपी गई और न ही एसएसई/वर्क्स द्वारा जारी नोट मार्क "बिक्री" के जरिए, बल्कि उन्होंने परित्यक्त स्टाफ क्वार्टर और सर्विस बिल्डिंग को तोड़ने से प्राप्त रिलीज की गई सामग्री को गेट पास सह चालान पर एजेंसी को सौंप दिया था। भारतीय रेलवे स्टोर कोड के पैरा 2725 के अनुसार, सामग्री को जारी नोट मार्क "बिक्री" के माध्यम से निविदाकर्ता को सौंपना आवश्यक है और भारतीय रेलवे स्टोर कोड के पैरा 2426 के अनुसार नीलामी सामग्री स्टॉक वेरिफायर की मौजूदगी में सौंपी जानी चाहिए।

इसके अलावा, क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा भंडार की सुपुर्दगी और उसके अभिलेखों के रखरखाव के लिए महाप्रबंधक(सतर्कता)/पूमरे/हाजीपुर के पत्र संख्या–ईसीआर/विज़/सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक–26.03.2019 और जेपीओ (एसआईएल 10/2019) के अनुसार भंडार का प्रत्येक लेनदेन डीएमटीआर में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसमें क्रम संख्या की निरंतरता के साथ क्रम संख्या को बिना किसी विराम के डीएमटीआर में अलग–अलग ''रसीद'' और ''जारी'' पक्ष के लिए बनाए रखा जाना चाहिए लेकिन ''रसीद'' और ''जारी'' के लिए क्रम संख्या अलग से नहीं बनाए गए थे। इसके अलावा, मानक प्रारूप के

by agency and taken back into the store of SSE/WORKS for proper accountal into ledger. But the released pipe lines and service tanks, doors, window and ventilators taken back into the store were not posted in DMTR and ledger book properly. As per scrutiny of ledger book and DMTR and checking of ground balance during joint check, it was found that Asbestos sheet 4 feet long-250sqm shortage, 1.5 inch dia.- 37.16m shortage, 1.0 inch dia pipe- 13.32 m shortage , ½ inch dia pipe- 10.65m shortage but as per Para 116(iv) of Indian Railway works manual " Section Engineer is responsible for accountal and periodical verification of stores . Further as per para 121(b) of Indian Railway works manual "Section Engineer is responsible to maintain detailed accounts of material and tools received & issued".

Further, neither the released materials like steel items i.e Rails, all release Bricks and bricks Bats, debris were handed over to agency in presence of stock verifier (account) nor through issue note mark "sale" by SSE/Works but he had handed over the released material obtained from dismantling of abandoned Staff Quarters & Service buildings to agency on Gate Pass cum challan. As per Para 2725 of Indian Railway store code, material is required to hand over to tenderer through issue note mark "sale" & as per Para 2426 of Indian Railway store code auction materials are to be handed over in presence of stock verifier.

Further, vide GM(Vigilance)/ECR/HJP's letter no. ECR/VIG/System Improvement/50 dated 26.03.2019 & JPO (SIL 10/2019) for handing of stores and maintenance of records there of by field units, as per JPO every transaction of stores must be entered into DMTR with a Sl.No continuity of Sl. No. should be maintained in the DMTR separately for "Receipt" and "Issue" side without any break but Sl. No for "Receipt" & "Issue" are not maintained separately. Further, a well bound printed register as per standard format which can record transaction for a considerably long period should be used as DMTR but DMTR maintained by SSE/Works/THB is not printed. The first page of the DMTR should contain a certificate from junior scale officer of the controlling unit indicating the total number of pages available in it but the same is not inialled by ADEN/THB. Further

अनुसार एक अच्छी तरह से बाउंड मुद्रित रजिस्टर जो काफी लंबी अवधि के लिए लेनदेन रिकॉर्ड कर सकता है उसे डीएमटीआर के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए लेकिन एसएसई/वर्क्स द्वारा बनाया गया डीएमटीआर मुद्रित नहीं था। इसके अलावा डीएमटीआर में लेनदेन दर्ज करने वाले एसएसई/जेई/स्टोर क्लर्क को प्रत्येक दिन के अंत में तारीख के साथ प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उनके हस्ताक्षर वरिष्ठ अधीनस्थों के हस्ताक्षर/मोहर के नीचे हो सकते हैं लेकिन डीएमटीआर में सामग्री के लेनदेन में प्रवेश करने के बाद एसएसई/वर्क्स द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्रारूप ई–1414 (इंजीनियरिंग कोड पैरा 1414) में दैनिक प्राप्ति, जारी और शेष राशि दिखाने वाले मात्रा खाते बनाए रखे जा सकते हैं। इसे मानक प्रारूप के अनुसार बनाए रखा जाता है। इसके अलावा, डीएमटीआर में लेजर फोलियो संदर्भ का संकेत दिया जाना चाहिए जिसे डीएमटीआर में इंगित किया गया है। इसके अलावा, अन्य स्टॉक धारक को चालान/जारी नोट केवल मुख्य स्टॉक धारक द्वारा जारी किए जाएंगे, न कि स्टोर की लाइन डीएमटीआर/अस्थायी शिफ्ट को बनाए रखने वाले पर्यवेक्षकों द्वारा। उपरोक्त अनियमिताओं के लिए अनुभाग अभियंता/वर्कस जिम्मेदार थे और उन पर अनुशासन और अपील नियम के तहत कार्यवाही किया गया।

**दोहरीकरण कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं:–**

फॉर्मेशन में मिट्टी के काम को भरने, **quarry dust/blanketing** सामग्री की आपूर्ति और उपलब्ध कराने, छोटे पुलों, रिटेनिंग दीवारों और अन्य विविध कार्यों के निर्माण से संबंधित शिकायत मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि कई चेनेज में ग्राफ शीट में प्लॉट किए गए मिट्टी के काम के प्रारंभिक स्तर (ओजीएल) अंतिम स्तर पुस्तिका में दर्ज स्तर के अनुसार नहीं थे। चूंकि अनुबंध समझौते में तटबंध में मिट्टी के काम की मात्रा को **shrinkage** और **rain cut/10%** के नाम पर रोके रखने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए **shrinkage** और **rain cut** के लिए मिट्टी के काम की दर्ज मात्रा को रोककर रखा गया।

इसके अलावा, **quarrydust/blanketing** को ढीली अवस्था में प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित मोटाई की परतों में फैलाना, उसे पानी देना/सुखाना और ठेकेदार के 10–12 टन क्षमता के भारी शुल्क वाले बिजली से चलने वाले कंपन रोलर के साथ कॉम्पैक्ट करना था, ताकि संरचना के शीर्ष पर **blanket** की परत की निर्दिष्ट मोटाई प्रदान की जा सके, आरडीएसओ विनिर्देश के अनुसार प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार उसे समतल करना और ड्रेसिंग

the SSE/JE/Store Clerk entering the transaction in the DMTR should initial the entries with date at the end of each day. His signature/initial may be under the signature /stamp of the Sr.Subordinates but the same is not signed/initialled by SSE/Works after entering the transaction of material in the DMTR. Further, quantity accounts showing the daily receipt, issue and balance in the format E-1414(ENGG Code para 1414) may be maintained. It is maintained as per the standard format. Further, ledger folio reference should be indicated in the DMTR same is indicated into DMTR.Further, Challans/Issue notes to the other stock holder shall be made out only by the main stock holder and not by supervisors maintaining the line DMTR/Make shift of stores. For the above mentioned irregularities two SSE/Works are considered responsible and action taken under DA rules against them.

**Irregularities in execution of Doubling work :-**

During investigation of a complaint case regarding Earthwork filling in embankment, supply and providing of quarry dust /blanketing material, construction of minor bridges, retaining walls, and other miscellaneous works, it was found that Earthwork initial level (OGL) final level of formation as plotted in graph sheet at many chainaiges were not as per level recorded in level book. As there was no provision in contract agreement to retain the quantity of earth work in embankment on the name of shrinkage & rain cut @ 10% but recorded quantity of Earth work were retained for shrinkage and rain cut violating the agreemental conditions.

Further, spreading of blanketing material /Quarry dust was to be done in layers of thickness approved by Engineer-in-Charge in loose state, watering/drying and compacting the same with contractors heavy duty power driven vibratory roller of 10-12 tonnes capacity, to provide specified thickness of blanket layer on the top of formation, levelling and dressing the same as per RDSO specification and as directed by Engineer-in–charge but the thickness of blanketing provided on top of the embankment was less than approved thickness at many chainages. Two different final level of blanketing were recorded at the same location at sevral chainages. Further, measurement of blanketing was recorded into Measurement Book without

करना था लेकिन तटबंध के ऊपर प्रदान की गई **blanketing** की मोटाई कई चेनेज पर अनुमोदित मोटाई से कम थी। कई चेनेज पर एक ही स्थान पर **blanketing** के दो अलग–अलग अंतिम स्तर दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, **blanketing** का माप बिना समतलीकरण और ड्रेसिंग के मापन पुस्तिका में दर्ज किया गया था इसके अलावा, सतह की तैयारी और **blanketing**की ड्रेसिंग के नाम पर **quarrydust/blanketing** की **10%** मात्रा को रोककर रखा गया था, लेकिन अनुबंध में **quarrydust/blanketing** की मात्रा को **10%** की दर से रोक कर रखने का कोई अनुबंधात्मक प्रावधान नहीं था।

बिना Variation की पूर्व स्वीकृत्ति के कार्य निष्पादित किए गए। विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों की स्वीकृत्ति के लिए लगभग 17 महीने लग गए। एसएसई ने बिना किसी स्वीकृत्ति के अनुबंध के विभिन्न कार्य शेड्यूल में अनुबंधित मात्रा से अधिक कार्य निष्पादित कराये, जिसके कारण ठेकेदार को लगभग 13886413.59 रुपये का भुगतान रोक दिया गया।

एक ही माप (मात्रा) को पहले दर्ज माप को रद्द किए बिना एक ही समय में दो अलग–अलग माप पुस्तिकाओं में दर्ज किया गया था। बिना किसी विशेष कारण के RA बिलों के दर्ज माप को रद्द नहीं किया गया। भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग कोड के पैरा 1324 के अनुसार जब कोई माप रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण को रद्द करने का आदेश देने वाले अधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर या माप करने वाले अधिकारी हस्ताक्षरित उसके आदेशों के संदर्भ द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

एसएसई/वर्क्स ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन किए बिना मनमाने ढंग से स्टील की आपूर्ति के लिए स्टेज भुगतान के लिये **measurement** दर्ज किया था। इसके अलावा, उन्होंने बिना किसी विशेष कारण बताए दर्ज माप को रद्द कर दिया था।

निष्पादित कार्यों का अंतिम माप, विस्तृत माप के बिना दर्ज किया गया था, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड के पैरा 1331 के अनुसार किसी भी मामले में विस्तृत माप के बिना अंतिम भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उप मुख्य अभियंता/निर्माण द्वारा दर्ज माप की कोई टेस्ट चेक नहीं की गई थी।

उपरोक्त अनियमितताओं के लिए, एसएसई/वर्क्स/निर्माण, एईएन/निर्माण, एक्सईएन/निर्माण और उप मुख्य अभियंता/निर्माण को जिम्मेदार माना गया और उनके खिलाफ डीएआर नियमों के तहत कार्रवाई की गई।

levelling & dressing of the same but as per the agreemental provision, measurement of blanketing was to be recorded into measurement book after proper its proper spreading, compacting, levelling & surface dressing as per RDSO specifications. Further, 10% quantity of blanketing was retained on the name of surface preparation & dressing of blanketing but there was no agreemental provision for retention of quantity of blanketing @ 10% in the contract agreement.

Works were executed without prior approval of variation. Approx 17 months were taken for sanction vatiation of different officials/officers. SSE had got executed the work beyond the agreemental quantity in various schedule of work of the agreement without sanction of variation due to which the payment of contractor was withheld to the tune of approx Rs.13886413.59.

Same measurements (Quantity) were recorded into two different Measurement book at the same time without cancellation of earlier recorded measurement. Without endorsing any specific reason cancellation of recorded measurement of RA bills were not done. As per Para 1324 of Indian Railway Engineering Code when any measurement are cancelled, the cancellation should be supported by the dated initials of the officer ordering the cancellation, or by a reference to his orders initialed by the officer who made the measurement.

SSE/Works had arbitrarily recorded stage payment for supply of steel without following the instructions of his senior officials. Further, he had cancelled the recorded measurement without endorsing any specific reasons.

Final measurement of executed works were recorded without details measurement but as per as per Para 1331 of Indian railway code for Engineering Department. Final payments should, however, in no case be made without detailed measurements. Further, no proper test check of recorded measurement was done by Dy.CE/Con.

For the above irregularities, SSE/WORKS/Con, AEN/Con, XEN/Con & Dy.CE/Con were considered responsible and action taken up under DA rules against them.

**4. कार्य निष्पादन में अनियमितता :–**

✍ **त्रिपुरारी यादव,** मुसतानि/इंजी/हाजीपुर

कार्य के निष्पादन में अनियमितताओं से संबंधित एक सतर्कता मामले की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि :–

- एक कॉलोनी की सड़क का निर्माण एम–30 ग्रेड मिक्स कंक्रीट से किया गया था, जिसका मिक्स डिजाइन अनुपात 1:1.76:3.39 (वजन के हिसाब से) था, लेकिन साइट से सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए गए एम–30 ग्रेड कंक्रीट का नमूना एकत्र करने के बाद उसे मिश्रण के अनुपात के परीक्षण के लिए एनटीएच/कोलकाता भेजा गया। एनटीएच/कोलकाता से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि कंक्रीट मिश्रण का नमूना स्वीकृत मिश्रण डिजाइन में उल्लिखित निर्दिष्ट मिश्रण अनुपात को पूरा करने में विफल रहा।
- यह भी देखा गया है कि स्वीकृत मिक्स डिजाइन के अनुसार 20 मिमी नाममात्र आकार के एग्रीगेट का उपयोग किया जाना था। आईएसः 383–2016 के अनुसार, 20 मिमी नाममात्र एकल आकार के एग्रीगेट के लिए 20 मिमी छलनी पर पासिंग प्रतिशत 85–100% है, लेकिन एनटीएच परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार सड़क में प्रयुक्त एग्रीगेट का 20 मिमी पर पासिंग प्रतिशत आईएसः 383–2016 में निर्धारित मानक से भिन्न था।

लेकिन काम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित डिजाइन मिश्रण के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने आईआरडब्ल्यूएम के पैरा 121 का उल्लंघन किया था, जिसके अनुसार उन्हें अपने प्रभार के तहत सभी कार्यों का निष्पादन अनुमोदित ड्राइंग और विनिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त अनियमितताओं के लिए एसएसई/वर्क्स को जिम्मेदार माना गया तथा उनके विरुद्ध डीएंडएआर नियम के तहत कार्रवाई की गई।

*

**4. Irregularity in Execution of Work :-**

✍ **Tripurari Yadav,** CVI/Engg/HJP

During investigation of a vigilance case regarding irregularities in execution of work, it was observed that:-

- A colony road was constructed with M-30 grade Mix concrete having Mix design proportion of 1:1.76:3.39 (by weight) but after collecting the sample of M30 Grade of concrete which was used in construction of road from site and the same was sent to NTH, Kolkata for test of proportion of mix. As per test report received from NTH, it was found that the sample of concrete mix failed to meet the specified mix proportion mentioned in the approved mix design.
- It has also been observed that 20 mm nominal size of aggregate was to be used as per approved mix design. As per IS:383-2016, percentage passing at 20 mm sieve for 20mm nominal single size aggregate is 85-100% but as per NTH test report percentage passing of aggregate used in road at 20 mm was different as prescribed in IS:383-2016.

But the work has to be executed as per the design mix approved by the competent authority. Thus he had violated para 121 of IRWM, in which he has to ensured execution of all works under his charge according to approved drawings and specifications.

For the above irregularities SSE/Works is consider responsible and action taken up under D&AR rule against him.

*

## केस अध्ययन

# भंडार एवं चिकित्सा

**1. पूर्व मध्य रेल वर्कशॉप में गैर–स्टॉक सामग्रियों की खरीद और उपयोग ।**

✍ **संजय कुमार,** मुसतानि/भंडार.

पूर्व मध्य रेल (ईसीआर) वर्कशॉप में सतर्कता विभाग द्वारा की गई एक निवारक जाँच के दौरान गैर–स्टॉक सामग्रियों, विशेष रूप से पेंट की खरीद और उपयोग में एक महत्वपूर्ण अनियमितता पाई गई। जाँच में यह पाया गया की सामग्री का प्रबंधन, उसका उपयोग, और इसकी आंतरिक गुणवत्ता में खराबी आ रही है क्योंकि इसे लंबे समय तक संग्रहित किया गया। इस मामले में मुख्य रूप से पेंट शामिल है, जिसकी एक निश्चित शेल्फ लाइफ होती है, जिसे समय पर उपयोग नहीं किया गया तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। पेंट की खरीद दिसंबर 2022 में की गई थी।

पेंट एक शेल्फ–लाइफ आइटम है, जिसका मतलब है कि इसे एक निश्चित अवधि के भीतर उपयोग नहीं किया गया तो इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। कुल 1200 लीटर पेंट दिसंबर 2022 में खरीदा गया।

1200 लीटर में से केवल 20 लीटर पेंट का उपयोग लगभग 18 महीनों में किया गया। यह एक बहुत ही कम उपयोग दर को दर्शाता है जिससे संसाधनों की बर्बादी और बजट की अक्षमताएँ सामने आती हैं।

पेंट, जो एक शेल्फ–लाइफ आइटम है, समय पर उपयोग न किए जाने पर इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। जाँच के दौरान एक महत्वपूर्ण अनियमितता यह पाई गई कि पेंट कंटेनरों पर कोई अंकन या निशान नहीं था, जिससे बैच नं॰ या समाप्ति की तारीख की जानकारी नहीं मिली, जो कि मानक खरीद और गुणवत्ता नियंत्रण का उल्लंघन है।

पेंट को यूडीएम (User Depot Module) पोर्टल के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ता को जारी किया गया था और इस सामग्री के लिए यूडीएम बैलेंस

## Case Study

### STORES & MEDICAL

1. **Procurement and Utilization of Non-Stock Materials in East Central Railway Workshop.**

✍ **Sanjay Kumar**, CVI/Stores

During a preventive check conducted by the Vigilance Unit in the East Central Railway (ECR) Workshop, a significant irregularity was found in the procurement and utilization of non-stock materials, specifically paint. The investigation has raised concerns regarding the management of the material, its utilization, and the deterioration of its inherent properties due to prolonged storage. This case revolves around paint, a material with a defined shelf life, which was procured in December 2022.

A total of **1200 liters of paint** was procured in **December 2022**.The paint is classified as a shelf-life item, meaning its usability decreases over time if not utilized within a certain period.

Out of the 1200 liters, only **20 liters** were utilized over a period of approximately 18 months. This indicates a very low consumption rate, potentially leading to wastage of resources and budget inefficiencies.

Paint, being a shelf-life item, is subject to quality deterioration over time if not stored or used properly. A crucial irregularity was observed during the inspection: **no embossing or marking** indicating Batch No. or Expiry Date was found on the paint containers.

The paint was issued to the end user through the **UDM (User Depot Module) Portal**, and the UDM balance for this material was shown as **NIL**, implying that the system accounted for its usage. However, despite being accounted for and issued in the system, the paint was still found **lying on the ground**, and its properties were deteriorating, suggesting a significant gap between the

शून्य था, जिसका अर्थ है कि इसे उपयोग के लिए सिस्टम में दर्ज कर लिया गया था। हालांकि सिस्टम में दर्ज और जारी किए जाने के बावजूद, पेंट अभी भी स्थल पर पड़ा हुआ था और इसकी गुणात्मक विशेषताएं खराब हो रही थीं, जो रिकॉर्ड और वास्तविक उपयोग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।

कुल **1.67%** (1200 लीटर में से केवल 20 लीटर) पेंट का 18 महीनों में उपयोग किया गया, जो अत्यधिक कम है और खरीद की आवश्यकता पर सवाल उठाता है। पेंट को सिस्टम में जारी दिखाया गया था और यूडीएम बैलेंस शून्य था, लेकिन वास्तव में यह अभी भी भंडारण में पड़ा हुआ था और खराब हो रहा था।

संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

*

**ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टभाषी होता है, उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती।**

– प्रेमचंद

official records and the actual physical utilization of the material.

Only **1.67%** (20 liters out of 1200 liters) of the procured paint was used over 18 months, which is highly inefficient and leads to questions regarding the necessity of the procurement. The paint was shown as issued and the UDM balance was zero, but it was physically still in storage and deteriorating.

Action against the concerned dealing official, as per vigilance discipline and appeal rule is in process.

*

***"Corruption is the enemy of development, and of good governance. It must be got rid of. Both the Government and the people at large must come together to achieve this National objective."***

– Pratibha Patil

## 2. लंबी बीमारी के मामलों में चिकित्सा बोर्ड की स्थापना में असामान्य देरी

✍ रमन तिवारी, मुसतानि/चिकित्सा

रेलवे कर्मचारियों की लंबी बीमारी के मामलों में मेडिकल बोर्ड/डीएमसी के गठन में अत्यधिक देरी के पहलू पर सतर्कता दल द्वारा एक निवारक जाँच की गई। जाँच में यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के कई मंडलों में रेलवे बोर्ड के पत्रांक – 2010/एच/5/12 दिनांक 14.06.2010 के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त पत्रांक के अनुसार –

(i) सभी लंबी बीमारी और आईओडी (इन्ट्रा ऑक्युलर डिजीज) मामलों में उपचार जारी रखने या फिटनेस के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा 3 महीने और 6 महीने के बाद विशेषज्ञ के साथ समीक्षा की जानी चाहिए। तद्नुसार उपचार जारी रखने या फिटनेस के लिए या डिकैटेगराइजेशन/इनवैलिडेशन के लिए आवश्यक कार्यवाई की जानी चाहिए।

(ii) यदि बीमार/आईओडी अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मामले की समीक्षा हर 3 महीने में उपचार जारी रखने, फिटनेस, डिकैटेगराइजेशन या इनवैलिडेशन के लिए स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक करेंगे और बोर्ड की सिफारिश को सीएमडी (वर्तमान में – पीसीएमडी) के अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए।

(iii) मेडिकल बोर्ड परीक्षा आयोजित करने और इसकी रिपोर्ट को स्वीकार करने में लगने वाला समय एक महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

रेलवे बोर्ड ने उपरोक्त पत्र को पत्रांक –2010/एच/5/12 दिनांक – 29.04.2015 के माध्यम से दोहराते हुए पुनः यह निर्देशित किया है कि:–

चिकित्सा बोर्ड की स्थापना के लिए समय सीमा, बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक – 14.06.2010 के निर्देशानुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

परंतु निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि मंडलों द्वारा रेलवे बोर्ड के इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन ठीक से नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के अनुपालन/सुधार हेतु एक ''प्रणाली सुधार पत्र'' जारी करने की अनुशंसा की गई है।

## 3. ''चिकित्सा बोर्ड मामलों में निवारक जाँच''

✍ रमन तिवारी, मुसतानि/चिकित्सा

चिकित्सा बोर्ड मामलों में एक निवारक जाँच के दौरान पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में यह पाया गया कि :–

(i) पीएमई/एसएमई/चिकित्सा बोर्ड के चिकित्सा परीक्षण के समय, मंडल अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा पूर्व में किए गए कर्मचारियों के IME तथा अंतिम PME की रिपोर्ट को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

(ii) प्रत्येक आवधिक चिकित्सा परीक्षण (पीएमई) या एसएमई के समय, आईआरएमएम 2000 के पैरा 520 के अनुसार एनेक्सर– VIII के निध ार्रित प्रारूप में कर्मचारियों खास कर ड्राइवरों के तरफ से अपने स्वास्थ्य के बारे में घोषणा पत्र प्राप्त की जानी चाहिए, जो जाँच के दौरान नहीं पाया गया।

(iii) आईआरएमएम के पैरा 561(ए) के अनुसार, डिकेटेगराइज करने से पहले कर्मचारियों को ''लाइट ड्यूटी'' हेतु अनुशंसा करने का प्रावधान है। इसलिए ''चिकित्सा आधार पर वैकल्पिक रोजगार'' की सिफारिश करते समय अपने रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड को इस पहलू पर भी टिप्पणी करनी चाहिए, परन्तु निवारक जाँच के दौरान ऐसा नहीं पाया गया।

(iv) चिकित्सा बोर्ड गठन में विलम्ब से बचने के लिए रेलवे बोर्ड का पत्रांक – 2010/एच/5/12 दिनांक 14.06.2010, 07.05.2014 और 29.04. 2015 तथा पत्रांक 2011/एच/5/9 दिनांक 07.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, परंतु निवारक जाँच के दौरान कई मामलों में ऐसा पाया गया कि रेलवे बोर्ड के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(v) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या– 2013/एच/5/1/पॉलिसी, दिनांक 31.12.13 के अनुसार, जिस कर्मचारी को अपनी मौजूदा चिकित्सा श्रेणी से डीकैटेगराइज किया गया है, उसे आकर्षक पद जैसे कि गुड्स क्लर्क, बुकिंग क्लर्क में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के अनुपालन/सुधार हेतु एक ''प्रणाली सुधार पत्र'' जारी करने की अनुशंसा की गई है।

*

**पूर्व मध्य रेल** एस.आई.एल.–**14 / 2023**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 07.11.2023

**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी**
**एवं**
**प्रधान वित्त सलाहकार**
**पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।**

**विषय** : नियुक्ति / विभागीय, पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा के ओएमआर शीट को ओएमआर शीट रीडर मशीन से जाँच कराने की व्यवस्था करने के संबंध में।

***

पूर्व मध्य रेल के मंडलो / यूनिटो में नियुक्ति / विभागीय, पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा ओएमआर शीट पर आयोजित हो रही है, जिसमें काफी शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन शिकायतों पर सतर्कता विभाग के जाँच के क्रम में पाया गया है कि ओएमआर शीट की जाँच करते समय मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा कुछ **''गलत प्रश्नों को सही''** एवं **''सही प्रश्नों को गलत''** कर दिया जाता है। इन गलतियों का प्रभाव अधिकांश मामलों में अंतिम परिणाम पर नहीं पड़ा है। ज्यादातर गलतियाँ छोटी है और अंको में अधिक अंतर नही पाया गया है। लेकिन ऐसी गलतियाँ मानवीय भूल के कारण परिणाम को प्रभावित कर सकती है, जिससे न सिर्फ परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि मूल्यांकन अधिकारी भी सतर्कता दृष्टिकोण के संदेह के दायरे में आ सकते हैं। ऐसी गलतियॉं कई सतर्कता जॉचों में पायी गयीं हैं।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले उपरोक्त अनियमितता को शून्य करने हेतु ओएमआर शीट को Optical mark reader (OMR Scanner) से जॉच करने की व्यवस्था की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि मशीनों द्वारा उत्तर पुस्तिका की जॉच की गई है तो जिस प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ओएमआर पर आयोजित परीक्षाओं में कॉपियों के एक तय शुदा प्रतिशत को क्रास चेक किया जाता था, उसी प्रकार विभागीय परीक्षाओं में भी जॉची गयी उत्तर पुस्तिकाओं में कम से कम 10 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा अवश्य किया जाए।

**उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।**

**(उज्ज्वल आनंद)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

**पूर्व मध्य रेल** एस.आई.एल.–01 / 2024

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 11.01.2024

**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी**
**पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।**

**विषय :– टंकण जॉच के अवधि में कर्मचारियों के द्वारा आर एम सी सीक के अनुचित प्रयोग के संबंध में।**

***

सतर्कता संगठन को प्राप्त परिवाद के मामलें में जॉच के दौरान पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में लिपकीय पद हेतु (विभिन्न स्रोतों से नियुक्त कर्मचारी जैसे–अनुकम्पा / खेल–कुद कोटा / सांस्कृतिक कोटा / स्काउट एंड गाईड कोटा या ग्रुप "डी" से अवर लिपिक के पद पर पदोन्नति पर) टंकण जॉच परीक्षा आयोजित किया गया था। मंडल द्वारा आयोजित टंकण जॉच में देखा गया कि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित अवसर को बचाने के लिए एवं प्रावधानित टंकण जॉच से छूट का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों के द्वारा आर एम सी सीक का अनुचित उपयोग किया गया है।

उक्त के आलोक में टंकण जॉच हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ निम्न तथ्यों का भी अनुपालन किया जाना अपेक्षित है:–

**01. टंकण जॉच हेतु जारी अधिसूचना एवं टंकण जॉच तिथि की सूचना संबधित रेल चिकित्सालय को दिया जाये।**

**02. टंकण जॉच हेतु यदि पात्र कर्मचारियों के द्वारा आर एम सी सीक लिया जा रहा है और वह अवधि टंकण जॉच हेतु निर्धारित तिथि की अवधि का हो, तो इसकी स्वीकृति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से लिया जाये।**

कृप्या उक्त के संबंध में उपरोक्त दिशा–निर्देश से संबंधित प्रणाली सुधार–पत्र जारी किया जाय एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

**उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक / पूमरे / हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।**

**(उज्ज्वल आनंद)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

**पूर्व मध्य रेल** एस.आई.एल.–02 / 2024

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 11.01.2024

**प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर।**

**विषय : कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका में पायी गयी अनियमितता के पहलू पर निवारक जॉच।**

***

पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों पर कार्यरत परिचालन विभाग के कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका पर सतर्कता जॉच के दौरान निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी है:–

01. मौखिक / टेलिफॉनिक मैसेज के आधार पर कर्मचारियों का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन (कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के बिना) पर लम्बी अवधि (6 माह से अधिक) के लिए स्थानांतरण किया जा रहा है, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है।

02. मौखिक / टेलिफॉनिक मैसेज से स्थानान्तरण आदेश देने वाले प्राधिकारी के द्वारा ऐसे मामलों में आदेश दिये जाने के बाद में इनकार किया जा रहा है।

03. मौखिक / टेलिफॉनिक मैसेज के आधार पर स्थानांतरित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु प्रेषित मस्टर शीट कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के पदस्थापना स्थल से भेजा जा रहा हैं एवं मस्टर शीट में हस्ताक्षर के जगह 'पी' दर्ज किया जा रहा है।

04. मौखिक / टेलिफॉनिक मैसेज के आधार पर लम्बी अवधि से पदस्थापित कर्मचारियों को भत्ता (मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि)

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश के पदस्थापना स्थल के अनुसार दिया जा रहा हैं।

उपरोक्त अनियमितताएँ को रोकने हेतु यह प्रस्तावित किया जाता है कि मौखिक/टेलिफॉनिक मैसेज के द्वारा स्थानांतरण की परिपाटी पूरी तरह बंद की जाए। संबंधित शाखाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि मौखिक/टेलिफॉनिक मैसेज के आधार पर किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। साथ ही इस प्रकार के मामलें भविष्य में संज्ञान में आने पर संबंधित शाखाधिकारी के ऊपर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

कृप्या उपरोक्त दिशा–निर्देश से संबंधित प्रणाली सुधार–पत्र जारी किया जाए एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

**(उज्ज्वल आनंद)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

**''सबसे अच्छा मनुष्य वह है,**
**जो अपनी प्रगति के लिए**
**सबसे अधिक श्रम करता है।''**

– सुकरात

# पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–03 / 2024

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 11.01.2024

**प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर।**

**विषय : कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका में पायी गयी अनियमितता के पहलू पर निवारक जॉच।**

***

पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों के वाणिज्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका की जॉच के दौरान सतर्कता संज्ञान में आया कि विभिन्न वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक के अधीन वाणिज्य नियंत्रक कार्यालय के द्वारा बड़ी संख्या में कन्ट्रोल आदेश के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार किए जा रहे स्थानांतरणों में निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आयी हैं:–

01. कन्ट्रोल आदेश के आधार पर कर्मचारियों का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन (कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के बिना) पर लम्बी अवधि (6 माह से अधिक) के लिए स्थानांतरण किया जा रहा है, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
02. कन्ट्रोल डायरी में कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश देने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर के बजाय सिर्फ नाम दर्ज किया जा रहा है।
03. कन्ट्रोल डायरी में नामित स्थानान्तरण आदेश देने वाले प्राधिकारी के द्वारा ऐसे मामलों में आदेश दिये जाने से बाद में इंकार किया जा रहा है।

04. कन्ट्रोल आदेश के आलोक में स्थानांतरित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु प्रेषित मस्टर शीट कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के पदस्थापना स्थल से भेजा जा रहा हैं एवं मस्टर शीट में हस्ताक्षर के जगह 'पी' दर्ज किया जा रहा है।

05. कन्ट्रोल आदेश के आलोक में लम्बी अवधि से पदस्थापित कर्मचारियों को भत्ता (मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि) कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश के पदस्थापना स्थल के अनुसार किया जा रहा हैं।

उपरोक्त अनियमितताएँ को रोकने हेतु यह प्रस्तावित किया जाता है कि कन्ट्रोल मैसेज के द्वारा स्थानांतरण की परिपाटी पूरी तरह बंद की जाए। संबंधित शाखाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय–समय पर कन्ट्रोल डायरी का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कन्ट्रोल डायरी द्वारा किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। साथ ही इस प्रकार के मामलें भविष्य में संज्ञान में आने पर संबंधित शाखाधिकारी के ऊपर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

कृप्या उपरोक्त दिशा–निर्देश से संबंधित प्रणाली सुधार–पत्र जारी किया जाए एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।

**उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।**

**(उज्ज्वल आनंद)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

# पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–04 / 2024

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 11.01.2024

**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी**
**पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।**

**विषयः** विभागीय परीक्षाओं (अनुकम्पा, खेल–कूद कोटा इत्यादि) के संचालन में प्रणाली सुधार जारी करने के संबंध में।

***

सतर्कता विभाग के द्वारा जॉच के दौरान संज्ञान में आया कि पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा को विभिन्न अनियमितताओं के कारण निरस्त किया गया था। इस परीक्षा की विडियोग्राफी भी नहीं करायी गयी थी, जबकि इस संबंध में महाप्रबंधक / कार्मिक / पूमरे / हाजीपुर के परिपत्र संख्या. ECR-HQ0PERS(SEL) / 05 / 2021, दिनांक–01.06.2021 के माध्यम से SIL No.. 01 / 2021 जारी किया गया है। परीक्षा की सूचना भी सतर्कता विभाग को नहीं दी गयी थी।

अतएव सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल के मंडलो / ईकाइयों में नियुक्ति / विभागीय पदोन्नति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु विभागीय परीक्षाओं (अनुकम्पा / स्पोर्ट कोटा, स्काउट एवं गाईड कोटा आदि) की सूचना सतर्कता विभाग, पूमरे, हाजीपुर को समय पर देने की व्यवस्था की जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

**(उज्ज्वल आनंद)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

# पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–05 / 2024

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 18.01.2024

**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी**
**एवं**
**प्रधान वित्त सलाहकार**
**पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।**

**विषय** : एनआईपी में उल्लेखित दंड का ससमय अनुपालन हेतु आवश्यक विभागीय प्रक्रिया में सुधार के संबंध में।

***

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता जॉच के दौरान पाया गया कि कर्मचारियों के विरूद्ध जारी एनआईपी में उल्लेखित वार्षिक वेतन वृद्धि / वेतन / वेतनमान में अवनति आदि से संबंधित दंड का अनुपालन ससमय एवं समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले उपरोक्त अनियमितता को शून्य करने हेतु कर्मचारियों के विरूद्ध जारी एनआईपी में उल्लेखित वेतन से संबंधित दंड के विरूद्ध संबंधित कैडर लिपिक के द्वारा वेतन निर्धारण का ज्ञापन जारी कर बिल लिपिक को तत्काल उपलब्ध कराया जाये ताकि दंड का अनुपालन ससमय किया जा सके।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

**(उज्ज्वल आनंद)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

**पूर्व मध्य रेल**

एस.आई.एल.–06 / 2024

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 18.03.2024

**प्रमुख मुख्य इंजीनियर**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर।**

**विषयः** उचित समय अवधि के भीतर परिवर्तन प्रस्ताव के निपटान के संबंध में प्रणाली में सुधार।

***

संविदा कार्य के भुगतान में देरी से संबंधित सतर्कता मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कुछ जरूरी कार्य और तकनीकी कारणों से परिवर्तन प्रस्ताव को 30 दिनों से अधिक समय तक रोके रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को बिल का भुगतान करने में देरी हुई।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में उपयुक्त दिशा–निर्देश क्षेत्रीय ईकाइयों को जारी किए जाएं, जिसमें सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाए कि परिवर्तन प्रस्तावों का निपटान उचित समय अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

जारी किये गये निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

**(बी.के. ठाकुर)**
सतर्कता अधिकारी / इंजी.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

## EAST CENTRAL RAILWAY

**SIL No - 06/2024**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 18.03.2024

**Principal Chief Engineer**
**E.C.Railway**
**Hajipur.**

**Sub** : System improvement regarding disposal of variation proposal within reasonable time period.

***

During investigation of a vigilance case regarding delay in payment of contractual work, it was observed that the variation proposal was kept on hold by the officers/officials on account of some urgent work & technical reason more than 30 days that resulted in delay in making payment of the bill to the contractor.

In view of the above, therefore, it is requested that suitable guidelines in this regard may kindly be issued to field units directing all concerned that the variation proposals should be disposed of within a reasonable time period.

A copy of guidelines issued may be sent to this office for information and record.

**(B.K. Thakur)**
Vigilance Officer/Engg.
for General Manager/Vigilance

*

**पूर्व मध्य रेल** एस.आई.एल.–07 / 2024

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 09.05.2024

**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी**
**एवं**
**प्रधान वित्त सलाहकार**
**पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।**

**विषय** : सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूची के नियमानुसार निर्धारण के संबंध में।

***

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता मामले की जाँच के दौरान समय–समय पर जारी की गई सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूचियों के जांचोपरान्त यह पाया गया है कि सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता को संभाग में अभी भी प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जा रहीं है न कि पदस्थापना तिथि से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में। यह रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी) आई–89 / एसआर 6 / 35 दिनांक 23.08.1991 के पैरा (ए) में उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन है,

'जिन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण स्कूलों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, उन्हें कामकाजी पद पर तैनात होने से पहले प्रशिक्षण अवधि के अंत में आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता में रैंक दिया जाएगा।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल के मंडलों में होने वाले उपरोक्त अनियमितता को रोकने हेतु रेलवे बोर्ड के उपरोक्त पत्र के निर्देशानुसार सहायक स्टेशन मास्टर कैटेगरी की वरीयता सूची का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

**(उज्ज्वल आनंद)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

# EAST CENTRAL RAILWAY

**SIL No - 07/2024**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

**No.** ECR/Vig/System Improvement/50 Dated 09-05.2024

**PCPO**
**&**
**PFA**
**East Central Railway**
**Hajipur.**

**Sub** : **Regarding proper maintenance of seniority list of ASM category as per extant rules.**

***

During investigation of a vigilance case in a division of ECR, seniority lists of ASM category issued time-to-time have been checked. It is found that seniority of ASM category in the division is still being maintained as per date of start of initial training and not in order of merit obtained in the examination held at the end of the training period before posting date, which is violation of para (a) of the Railway Board's guideline No. E(NG)I-89/SR6/35 dated 23.08.1991, in which it has been clearly stated that:

*"Candidates who are sent for initial training to Training Schools will rank in Seniority in the relevant Grade in the order of merit obtained in the examination held at the end of the training period before being posted against working post."*

In view of the above, to avoid such irregularities, it is advised that guidelines of a fore said Board's letter should strictly be followed in all divisions.

This is issued with the approval of SDGM.

**(Ujjawal Anand)**
Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance

*

# पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–08 / 2024

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 21.06.2024

**प्रमुख मुख्य इंजीनियर**
**पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर**

**विषय :** निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले गिट्टी के परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में एक समान अभ्यास को अपनाने, उन प्रयोगशालाओं की सूची जहां से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जानी है और निविदा दस्तावेज में परीक्षण रिपोर्ट के मानक प्रारूप को शामिल करने के संबंध में प्रणाली में सुधार।

***

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि जिन प्रयोगशालाओं से गिट्टी की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा में प्रस्तुत की जानी थी, उनकी सूची विभिन्न ईकाइयों / प्रभागों के निविदा दस्तावेजों में भिन्नता पाई गईं, जो यह दर्शाता है कि इस पहलू में कोई एकरूपता नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि निविदा दस्तावेजों में शामिल करने के लिए गिट्टी की परीक्षण रिपोर्ट का मानक प्रारूप जारी किया जाए तथा जहाँ से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जानी है, उन प्रयोगशालाओं की सूची सभी ईकाइयों / प्रभागों में एक समान होनी चाहिए।

कृपया जारी किये गये निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

**(सुमन भारती)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

प्रतिलिपि:–
(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / उत्तर / महेन्द्रुघाट / पटना
(2) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / दक्षिण / महेन्द्रुघाट / पटना

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

## EAST CENTRAL RAILWAY

**SIL No - 08/2024**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 21.06.2024

**Principal Chief Engineer,**
**E.C.Railway, Hajipur.**

**Sub** : System Improvement regarding adoption of uniform practice regarding test reports of ballast required to be submitted by the tenderer at the time of submitting tender, list of laboratories from where test report to be obtained & incorporation of the standard format of the test report in the tender document

***

During investigation of a case, it was found that list of laboratories from where test report of ballast are required to be obtained& to be submitted by the tenderer in the tender were found different in tender documents of different units/divisions, which indicates that there is no uniformity in this aspect.

In view of above, it is requested that standard format of test report of ballast may be issued for incorporation in tender documents and list of laboratories from where test reports to be obtained should be uniform in all units/divisions.

A copy of instruction issued may please be sent to this office for information and record please.

**(Suman Bharti)**
Dy. Chief Vigilance Officer/Engg.
For General Manager/Vigilance

Copy to (i) CAO/Con/North, MHX, Patna
(ii) CAO/ConSouth,MHX, Patna

Dy. Chief Vigilance Officer/Engg.
For General Manager/Vigilance

*

**पूर्व मध्य रेल**

एस.आई.एल.–**09 / 2024**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 05.07.2024

**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / दक्षिण**
**पूर्व मध्य रेल,**
**महेन्द्रुघाट, पटना**

**विषय** : विशेष सीमित निविदा (एसएलटी) के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित करने में प्रणाली सुधार के लिए सक्षम प्राधिकारी से दिशानिर्देश प्राप्त करना।

***

एमएसओपी–2018 के पैरा संख्या 5 (ए) (III), नोट–4 के अनुसार, ''जिन निविदाकारों से एसएलटी आमंत्रित किए जाने हैं, उनकी संख्या अधिकतम छः से अधिक होनी चाहिए, लेकिन चार से कम नहीं होनी चाहिए''। एमएसओपी में इस बारे में कोई दिशा–निर्देश नहीं है कि यदि जाँच के दौरान एसएलटी में भाग लेने वाले निविदाकारों की संख्या चार से कम पाई जाती है, तो क्या कार्रवाई की जाए। इसलिए कृपया भाग लेने वाले निविदाकारों की संख्या पर नीतिगत दिशा–निर्देश प्राप्त किए जाएं।

उपरोक्त के मद्देनजर, अनुरोध है कि उपरोक्त मुद्दे पर सक्षम प्राधिकारी से दिशानिर्देश प्राप्त किए जाएं।

कृपया प्राप्त दिशा–निर्देशों की एक प्रति रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं।

**(सुमन भारती)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

## EAST CENTRAL RAILWAY

**SIL No - 9/2024**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

**No.** ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 05.07.2024

**CAO/Con/South**
**E.C. Railway,**
**Mahendrughat, Patna.**

**Sub :** Obtaining guidelines from the competent authority for System improvement in invitation of tenders through Special Limited Tender(SLT)

***

As per para no.5(A)(III), NOTE-4 of MSOP-2018- " Tenderers from whom SLT are to be invited should be preferably more than six but not less than four". There is no guideline in MSOP regarding what action to be taken if number of participating tenderers in SLT is less than four as found during investigation. Hence a policy guideline may please be obtained on the number of participating tenderers.

In view of the above, it is requested to obtain guidelines from the competent authority on the above issue.

A copy of the guideline received should please be provided to this office also for record.

**(Suman Bharti)**
Dy. Chief Vigilance Officer/Engg.
For General Manager/Vigilance

*

**पूर्व मध्य रेल**

एस.आई.एल.–**10 / 2024**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 22.07.2024

**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी**
**पूर्व मध्य रेल**
**हाजीपुर।**

**विषयः** एन.आई.पी. के क्रियान्वयन के संबंध में व्यवस्था में सुधार

***

एन.आई.पी. के क्रियान्वयन से संबंधित एक मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि दण्ड या अपील या पुनरीक्षण के निर्णय के लिए केस फाईल प्रस्तुत करते समय कार्मिक विभाग के डीलिंग क्लर्क द्वारा संबंधित अधिकारियों के समक्ष उचित नोटिंग प्रस्तुत नहीं की गई थी। डीलिंग क्लर्क ने अपनी नोटिंग के माध्यम से फाईल आरंभ की थी तथा अन्य उच्च अधिकारी ने बिना किसी टिप्पणी के केवल अपनी हस्ताक्षर की थी। जिसके कारण आरोपित कर्मचारी को उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति मिल गई तथा उसे पदोन्नति भी मिल गई। एन.आई.पी. जारी करने की योग्यता के संबंध में उचित नियम सुनिश्चित करने की अनदेखी सहायक कार्मिक अधिकारी तथा अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की गई।

ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, एन.आई.पी. के लिए अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत नोट का प्रारूप इस अनुरोध के साथ संलग्न किया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रारूप का उपयोग करने के लिए आवश्यक निर्देश / दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

इस संबंध में की गई कार्रवाई से कृपया इस कार्यालय को अवगत कराएं।

**(उदयाचल कुमार)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / भंडार
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

## EAST CENTRAL RAILWAY

**SIL No - 10/2024**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 22.07.2024

**PCPO**
**E.C.Railway**
**Hajipur.**

**Sub** : **System improvement regarding implementation of NIP**

***

In course of investigation of a case, pertaining to implementation of NIP, it has been observed that proper noting was not put up to concerned authorities by the dealing clerk of personal department while initiating the case file for decision of punishment or appeal or revision. Dealing clerk had initiated the file through his noting and other higher officer had just put their initial without any remark. Due to which the charged employee was allowed to join higher post and got promotion. Ensuring of proper rule regarding competence to issue of NIP was overlooked by APO and DA.

In order to avoid the re-occurrence of such situation, a "*format of note put up to DA for NIP"* is attached herewith with a request to issue necessary instruction/guideline to use this format in future.

Action taken in this regard may please be appraised to this office.

**(Udyachal Kumar)**
Dy. Chief Vigilance Officer (Stores)
For General Manager/Vigilance

**एनआईपी के लिए अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत नोट का प्रारूप**

विषय :

संदर्भ : यदि कोई हो तो

1. मामले का संक्षिप्त विवरण
2. सीओ का विवरण
   - (ए) नाम
   - (बी) पदनाम
   - (सी) जन्म तिथि
   - (डी) सेवानिवृत्ति की तिथि
   - (ई) वेतन का वर्तमान स्तर और मूल वेतन
   - (एफ) सीओ के लिए अनुशासनिक अधिकारी के वेतन का ग्रेड/वेतन स्तर
3. सीओ को दीर्घ दण्ड में सजा होने की संभावना
   - (ए) वेतन का अधिकतम स्तर जो घटाया/कम किया जा सकता है
   - (बी) कितने पद डाउनग्रेड/घटाए जा सकते हैं (क्योंकि कोई भी सीओ को प्रथम नियुक्ति पद पर डाउनग्रेड नहीं कर सकता है)
   - (सी) अनिवार्य सेवानिवृत्ति
   - (डी) सीओ को हटाने और बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।
4. अनुरोध है कि उपरोक्त SF-5 में जाँच रिपोर्ट और सी.ओ. के बचाव के संदर्भ में तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाए।

**डीलिंग क्लर्क**

*

**FORMAT OF NOTE PUT UP TO DA FOR NIP**

Sub:

Ref if any:

1. Brief of case
2. Details of CO
    (a) Name
    (b) Designation
    (c) Date of Birth
    (d) Date of retirement
    (e) Present Level of pay and basic pay
    (f) Grade/Level of pay of DA for CO
3. Punishment likely to be imposed in Major Penalty to the CO
    (a) Maximum level of pay may be downgraded / reduced
    (b) How many post may be downgraded/ reduced (as no one can downgrade the CO to first appointment post)
    (c) Compulsory retirement
    (d) Competent authority for removal and dismissal of CO
4. It is requested to pass reasoned speaking order in context of inquiry report and defence of CO in the above Said SF-5.

**Dealing Clerk**

*

**पूर्व मध्य रेल**

एस.आई.एल.–**13 / 2024**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 22.08.2024

**प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक**
**पूर्व मध्य रेल,**
**हाजीपुर।**

**विषयः प्रणाली सुधार का प्रस्ताव।**

***

सतर्कता जाँच के दौरान, टिकट जाँच करने वाले कर्मचारी उचित / वैध यात्रा प्राधिकार और जाँच प्राधिकार के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पाये जाते हैं, जिसे हर साल दिसंबर की आखिरी तारीख तक मान्य करने की अवश्यकता होती है। यातायात (वाणिज्यिक) के लिए भारतीय रेलवे संहिता के पैरा 919 के अनुसार, टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए ड्यूटी करते समय वैध यात्रा और चेकिंग प्राधिकारी साथ रखना आवश्यक है।

उपरोक्त प्राधिकारियों के सत्यापन में देरी से बचने के लिए, टीटीई लॉबी एप्लिकेशन में यात्रा प्राधिकारी के साथ–साथ चेकिंग प्राधिकारी की वैधता को फीड करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसका उपयोग वर्तमान में टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा ड्यूटी पर साइन ऑन / साइन ऑफ करने के लिए किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, यह एप्लिकेशन उन टीटीई को हस्ताक्षर करने / हस्ताक्षर करने से रोकेगा जिनके यात्रा / जाँच प्राधिकार की अवधि समाप्त हो गई है जिस प्रकार सीएमएस (क्रू मैनेजमेंट सिसटम) क्रू और गार्ड को पीएमई और रिफ्रेशर कोर्स के मामले में ड्यूटी पर हस्ताक्षर करने / हस्ताक्षर करने से रोकता है यदि संबंधित चालक दल और गार्ड का पीएमई और रिफ्रेशर कोर्स बकाया है। इसके अलावा, 7 दिनों की छूट सुविधा शुरू में केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब मंडल मुख्यालय के समक्ष प्राधिकारी से देरी की टिप्पणी प्राप्त की गई हो और टीटीई लॉबी एप्लिकेशन में मैन्युअल रूप से फीड की गई हो। पर्यवेक्षक का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि उपरोक्त प्राधिकारों का **नवीनीकरण / सत्यापन** एक माह पूर्व

## EAST CENTRAL RAILWAY

**SIL No - 13/2024**

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 22.08.2024

**Principal Chief Commercial Manager**
**East Central Railway,**
**Hajipur.**

**Sub** : **Proposal of System Improvement**

***

In Course of vigilance check, ticket checking staff are found discharging their duty without proper/valid travelling authority and checking authority which need to be validated by the last date of December in every year. In terms of para 919 of IR code for traffic (Comml.), it is essential for ticket checking staff to carry valid travelling and checking authority while performing duty.

To avoid the delay in validation of the above authorities, an arrangement to feed the validity of travelling authority as well as checking authority should be made in TTE Lobby Application, presently being used by ticket checking staffs to sign on/sign off the duty. As a result, this application would prevent TTEs from signing on/signing off whose travelling/ checking authority's has got expired as CMS (Crew Management System) prevents the Crew & Guards from signing on/signing off the duty in case of PME & Refresher course of the respective crew & guards being due.

Further, 07 days grace facility may initially be provided only when remarks of delay from the competent authority of divisional HQ has been

अर्थात् दिसम्बर में प्रारम्भ कर माह के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाये। जब तक नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और यात्रा प्राधिकारी/जाँच प्राधिकारी संबंधित कर्मचारियों को वापस नहीं कर दिया जाता, तब तक नवीकरण के लिए मूल प्राधिकार प्रस्तुत करने के दौरान जारी की गई पावती प्रति को वैध प्राधिकारी माना जा सकता है।

कृपया इस कार्यालय को सूचित करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

**(सुबोध कुमार)**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यातायात
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

**''अनुशासन किसी के ऊपर**
**थोपा नहीं जाता, अपितु**
**आत्म अनुशासन लाया जाता है।''**

– अटल बिहारी वाजपेयी

obtained and feeded manually in the TTE Lobby Application. It should be the responsibility of the supervisor that renewal/validation of above authorities should be started a month in advance i.e December and completed by the end of the month. Until the renewal process is completed and the travelling authority/checking authority is returned to the concerned staff, the acknowledgment copy issued during submission of the original authority for renewal may be treated as valid authority.

Kindly take necessary action accordingly under intimation to this office.

**(Subodh Kumar)**
Dy. Chief Vigilance Officer/Traffic
For General Manager/Vigilance

*

इंडेंट की मात्रा को मंजूरी देते समय
सुनिश्चित करें कि
मात्रा न्यूनतम और वास्तविक
आवश्यकता के अनुसार है।

कविता

# सतर्कता का पर्व मनाएं

✍ **महादेव कुमार मंडल,** पूर्व मुसतानि/भंडार/पूमरे

सच्चे का रहता है बोल–बाला
और झूठे का मुँह होता काला
तो भ्रष्टाचार को तज के क्यूँ ना
ईमानदारी की ही राह अपनाएं
**सतर्कता का पर्व मनाएं...2**

सच्चा जीवन बड़ा अनमोल
पाप के विष मत उसमें घोल
उच्च आदर्शों के मानक चल
जीवन को खुशियों से सजाएं
**सतर्कता का पर्व मनाएं...2**

ना कुछ लाये, ना कुछ ले जाना
फिर नाहक भरते रहते जाना
सादा जीवन, उच्च विचार, रख
चलें, लोभ–मोह को, दूर भगाएं
**सतर्कता का पर्व मनाएं...2**

यहाँ, जो जितना ही भ्रष्ट हुआ
वो अंततः उतना ही त्रस्त हुआ
तो रहें सावधन और रखें ध्यान
की भ्रष्टाचार पास ना आने पाएं
**सतर्कता का पर्व मनाएं...2**

जिनकी रहती है, सच्ची निष्ठा
उनको सदा ही मिलती प्रतिष्ठा
खुद भी बनें और, औरों में भी
सत्यनिष्ठा की अलख जगाएं
**सतर्कता का पर्व मनाएं...2**

यूँ तो गलत है, करना भ्रष्टाचार
उससे भी गलत है, सहना यार
जब है सतर्कता साथ आपके
तो, सहें नहीं, आवाज उठाएं
**सतर्कता का पर्व मनाएं...2**

*

सतर्कता जागरूकता अभियान
''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि''
रेल यात्रा के दौरान ध्यान दें
● EFT पर अंकित किराया का ही भुगतान करें।
● बर्थ / सीट के एवज में अवैध राशि का भुगतान कदापि न करें।
● भुगतान की गई राशि के बदले EFT प्राप्त करना न भूलें।
● अवैध राशि की माँग करने पर तुरंत मना करें।
● यदि कोई रेलकर्मी आपसे या आपके सहयात्री से गलत तरीके से किराया से ज्यादा रकम वसूल रहा हो या आपसे / आपके सहयात्री से अवैध पैसे की माँग कर रहा हो या किसी अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो इन सभी अनियमितताओं के लिए 139 हेल्प लाइन पर शिकायत दर्ज करें।
उपरोक्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत प्रकोष्ठ
139
सतर्कता संगठन
e-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in
08224-272494

# स्वत्व त्यजक

यह बुलेटिन केवल दिशा-निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एवं कार्यालय उपयोग के लिए है। इसे किसी भी कार्यालय संदर्भ में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी संदर्भ, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमेशा विषय के मूल आदेशों से संदर्भित किया जाना चाहिए।

# Disclaimer

**This bulletin is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for offcial use only. It should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, wherever necessary should always be made to the original orders on the subjects.**

# सतर्कता संगठन

## पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

### पारदर्शिता हेतु सतत् प्रयासरत एवं कटिबद्ध

A.K.Enterprises # 9334858565